

Notice Inviting Public Comments

Draft of Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2023 on Sector wise Standards/Guidelines for MHA specific Built Infrastructure and Associated Services by Ministry Home Affairs are hereby notified inviting comments from general public and other stakeholders. Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri. Ram Charan Meena, Under Secretary to the Government of India, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Room no 11A, 5th floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Dlehi 110003 or by email: rcmeena.79@gov.in by 25.02.2024



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012024-251603
CG-DL-E-25012024-251603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2024/माघ 5, 1945

No. 63]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2024/MAGHA 5, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 70(अ).—दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव प्रकाशित करने का है, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित अनुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि आधिकारिक राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है और जनता को उपलब्ध करा दी गई है उस तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात उक्त मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा ;

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, श्री राम चरण मीणा, अवर सचिव, भारत सरकार, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन), कमरा नंबर 11 ए, 5वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003 या rcmeena.79@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

मसौदा नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार.**- (1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (ठ) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ड) गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या फा. सं. I-34020/187/2020-समन्वय.I, दिनांक 2 जनवरी 2024 में निर्दिष्ट पुलिस स्टेशन, कारागारों तथा आपदा शमन केंद्रों के लिए गृह मंत्रालय विशिष्ट निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर और सम्बन्ध सेवाओं के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है

[सं. I-15/2/2023-AIC]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट : दिव्यांगजन अधिकार अधिकार नियम, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 591(अ), दिनांक 15 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 07(अ) दिनांक 02 जनवरी, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2024

G.S.R 70(E).—The following draft of certain rules to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ram Charan Meena Under Secretary to the Government of India, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Room No 11 A, 5th Floor, Pandit Deen Dayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, 110003 or by email at rcmeeena.79@gov.in

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and extent.**- (1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule (15), in sub-rule (1), after clause (l), the following clause shall be inserted, namely:-
“(m) Sector wise Standards/Guidelines for MHA specific Built Infrastructure and Associated Services as specified in the notification of the Ministry of Home Affairs, Government of India, vide number F. No. I-34020/187/2020-Coord.I, dated the 2nd January 2024.”

[F. No. I-15/2/2023-AIC]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy

Note : The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 591(E), dated the 15th June, 2017 and was last amended vide G.S.R. 07(E), dated the 2nd January 2024.


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012024-251068
CG-DL-E-02012024-251068

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1
PART 1—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2024/पौष 12, 1945
No. 2]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2024/PAUSHA 12, 1945

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2024

फा. सं. I-34020/187/2020-समन्वय-I—जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 में यह परिकल्पना की गई है कि केंद्रीय सरकार, मुख्य आयुक्त के परामर्श से दिव्यांगजन के लिए नियम प्रतिपादित करेगी जिनमें समुचित प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं सहित भौतिक संरचना, परिवहन, सूचना और संचार के लिए सुगम्यता संबंधी मानक निर्धारित किए गए हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय निर्मित सुविधाओं यथा, पुलिस स्टेशन, आपदा शमन केंद्र, कारागार आदि के संबंध में सुगम्यता मानक प्रतिपादित करने के लिए जिम्मेदार है और तदनुसार, दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय तथा हितधारकों के परामर्श से कारागार, जेल, पुलिस स्टेशन और आपदा शमन केंद्रों से जुड़ी निर्मित संरचनाओं और सेवाओं के संदर्भ में दिव्यांगजन और अन्य प्रयोक्ता समूहों की सुगम्यता जरूरतों को पूरा करने के आशय से गृह मंत्रालय के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश तैयार किए गए।

अब, गृह मंत्रालय एतद्वारा 'पुलिस स्टेशनों, कारागारों तथा आपदा शमन केंद्रों के लिए गृह मंत्रालय' विशिष्ट निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर और संबद्ध सेवाओं के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश को अधिसूचित करता है तथा यह www.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

सहेली घोष राँय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd January, 2024

F. No. I-34020/187/2020-Coord.I.—Whereas Section 40 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 envisages that the Central government shall, in consultation with the Chief Commissioner, formulate rules for persons with disabilities laying down the standards of accessibility for the physical environment, transportation, information and communications, including appropriate technologies and systems, and other facilities and services provided to the public in urban and rural areas.

And whereas, Ministry of Home Affairs is responsible for formulating accessibility standards in respect of built facilities like Police Stations, Disaster Mitigation Centres, Prisons, etc. and accordingly, developed 'Accessibility Standards and Guidelines for MHA with the intent to address the accessibility needs of persons with disabilities and other user groups in context of built environment and services associated with Prison, Jails, Police Station and Disaster Mitigation centers in consultation with office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities and stakeholders.

Now, Ministry of Home Affairs hereby notifies the 'Accessibility Standards and Guidelines for MHA Specific Built Infrastructures & Associated Services for Police Stations, Prisons & Disaster Mitigation Centres' and the same is available at www.mha.gov.in.

SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.



Accessibility Guidelines for
MHA Specific Built Infrastructures
& Associated Services for
Police Stations, Prisons &
Disaster Mitigation Centres
under
Accessible India Campaign (AIC)
2021

CONTENT

S.No.	Description	Page
1	Introduction	1
2	Section A: RPWD Act - Duties of Police Officers and Offences under the Act	5
3	Section B: Concept of Model Accessible Built Structures	8
4	Section C: Accessibility Guidelines for Built-up structures (Police Buildings, Prisons and Disaster Mitigation Centres)	9
5	Section D: Standards for Modern Police Station Buildings	17
6	Section E: Standards for Modern Prison / Jail Buildings	39
7	Section F: Standards for Disaster Mitigation Centres	48
8	Section G: Associated Services with Built-up infrastructures, such as, Police Stations, Prisons, etc.	64
9	References	80

1. Introduction

1.1 The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, (RPWD Act) has been enacted to give effect to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and for matters connected therewith or incidental thereto. The Act while stressing on equality and non-discrimination provides that Government shall ensure that the persons with disabilities enjoy the right to equality, life with dignity and respect for his or her integrity equally with others. The Act also mandates to take steps to utilize the capacity of persons with disabilities by providing appropriate environment and reasonable accommodation. It further provides that no person shall be deprived of his or her personal liberty only on the ground of disability and the persons with disabilities shall have equal protection and safety in situation of risk, armed conflict, humanitarian emergencies and natural disaster. The Act also mandates the government to take measures to protect persons with disabilities from all forms of abuse, violence and exploitation.

The Act also provides for access to justice and mandates the Government to ensure that persons with disabilities are able to exercise the right to access any court, tribunal, authority, commission or any other body having judicial or quasi-judicial or investigative powers without discrimination on the basis of disability. And requires the govt. to put in place suitable support measures for persons with disabilities specially those living outside family and those disabled requiring high support for exercising legal rights. Further it requires the govt. to make available all necessary facilities and equipment to facilitate recording of testimonies, arguments or opinion given by persons with disabilities in their preferred language and means of communication.

Section 47 of the RPWD Act mandates training on disability rights in all courses for the training of Panchayati Raj Members, legislators, administrators, police officials, judges and lawyers which highlights the lack

of awareness on the issues related to accessibility and inclusion of persons with disabilities.

Moreover, the need to take special measures to ensure that the persons with disabilities enjoy the full range of human rights and fundamental freedom is recognized by Article 14 of the Indian Constitution.

Barriers to accessibility are obstacles that make it difficult for Persons with Disabilities to move around in public places and access buildings. There are several barriers, both visible and invisible. Persons with disabilities face discrimination and barriers restrict them from participating in society on an equal basis in everyday life. In recent years, there has been a remarkable change in approach to ensure that persons with disabilities enjoy the same standards of equality, rights and dignity with the rest.

Accessibility can't be ensured in isolation hence, end to end accessibility needs to be ensured that includes physical infrastructure; associated services such as registration of complaints, FIR, making application for licences or seeking permissions etc. in a Police Station; provision of mobility devices such as wheelchairs etc., accessible transportation where applicable, devices, products and carriers; accessible information, websites and applications, public documents etc.;

Hence, accessibility for all is recognized as a basic necessity, and there are attempts all over the world to ensure this. Barrier-free and Universal Design features are now becoming fundamental to all design concepts.

1.2. Accessible India Campaign (AIC)

Persons with disabilities are required to be provided equal access to all facilities and services provided to public. With this intention in mind, Department of Empowerment of persons with Disabilities (DEPwD) launched Accessible India campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) on 3rd

December 2015 as a nation-wide campaign for achieving universal accessibility for Persons with Disabilities (PwDs).

The campaign is based on the principles of the Social Model of Disability, that disability is caused by the way society is organized and not the person's limitations and impairments. The physical, social, structural and attitudinal barriers prevent People with disabilities from participating equally in the socio-cultural and economic activities. A barrier free environment facilitates equal participation in all the activities and promotes an independent and dignified way of life.

The campaign has the vision to build an inclusive society in which equal opportunities are provided for the growth and development of PwDs so that they can lead productive, safe and dignified lives. Accessible India Campaign seeks cooperation of all Central Government Departments/Ministries and State Governments to manifest this vision. It has three important components: the built environment accessibility and the transportation system accessibility and the ICT accessibility.

We all need to work to realize human rights and development for persons with disabilities by removing barriers to their equal access. Equitable access would translate into access to the physical environment, to transportation, to information and communications. Universal accessibility leads to increased opportunities for people with disabilities to access employment and to fully participate in the social, cultural, recreational and economic life of India.

1.3 About these Guidelines

These guidelines are being issued to supplement the compliance of the provisions of Chapter VIII and in particular - Section 40, 42, 44, 45 and 46 of the RPWD Act 2016 read with Rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 among others and in furtherance of Accessible India Campaign to ensure accessibility and usability of Ministry of Home

Affairs specific built infrastructures & associated services in Police Stations, Prisons & Disaster Mitigation Centres for persons with disabilities. The guidelines have been divided in to following seven sections:

- A. RPWD Act - Duties of Police Officers and Offences under the Act
- B. Concept of Model Accessible Built Structures
- C. Accessibility Guidelines for Built-up structures (Police Buildings, Prisons and Disaster Mitigation Centres)
- D. Standards for Modern Police Station (PS) Buildings
 - a. PS Building Layouts in **Metropolitan City** like in New Delhi, Kolkata etc.
 - b. PS Building Layouts in **Major City** like in Lucknow, Allahabad, Madurai etc.
 - c. PS Building Layouts in **Semi-Urban Area** like in Noida & Gurgaon.
 - d. PS Building Layouts **Rural Areas**.
- E. Standards for Modern Prison / Jail Buildings
- F. Standards for Disaster Mitigation Centres
- G. Standards for Associated Services

Section A

2. RPWD Act - Duties of Police Officers and Offences under the Act

2.1 Duties of Police Officers Under the RPWD Act

Any police officer who receives a complaint or otherwise comes to know of abuse, violence or exploitation towards any person with disability shall inform the aggrieved person of –

- a) His or her right to apply for protection to the Executive Magistrate with local limits of whose jurisdiction such incident occurs and the particulars of the Executive Magistrate having jurisdiction to provide assistance.
- b) The Particulars of the nearest organization or institutions working for the rehabilitation of persons with disabilities.
- c) The right to free legal aid; and
- d) The right to file complaint under the provision of this Act or any other law dealing with such offence

Provided that the police officer shall not be relieved from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to the commission of a cognizable offence.

Section 12(4) (c) of the RPWD Act requires that all necessary facilities and equipment to facilitate recording of testimonies, arguments or opinion given by persons with disabilities in their preferred language and means of communication be made available by the Police and Judicial authorities.

2.2 Offences under the RPWD Act

The RPWD Act also details out the offence and punishments as enumerated in Section 89 to Section 95. The main offences are enumerated in Section 92 of the Act which are cognizable, non-bailable and triable by a Magistrate of first Class.

Moreover, when an offence is punishable under the RPWD Act and also under any other Act for the time being in force, the guilty offender will be punishable under the Act which provides for greater punishment.

Sample Instructions by Delhi Police for security of Persons with Disabilities

CIRCULAR
(by Delhi Police)

No. 04/2009

Sub : Regarding security of physically challenged persons

The Govt. of India is deeply is deeply concerned about the welfare of physically challenged persons and about their physical security and safety. Similar to the case of senior citizens, the police need to play a proactive role to ensure the security and safety of the physically challenged persons also. This task can very well be undertaken by the existing cells in PHQ as well as at District level. Besides, some of the measures, which can be undertaken by Police are as under:

1. Maintain separate statistics of the crime against physically challenged persons.
2. Devise a mechanism for prompt attendance to complaints of harassment, deception, etc. submitted by physically challenged persons and cases of crime occurred against them. The FIR could be registered on the complaint of such persons received even on telephone or fax.
3. Sensitization of the police, as well as, the citizenry to the special security / safety needs of these persons and making it a part of the community-policing programmes.
4. Organizing sensitization programmes for such persons about Police Help Lines, legal aid facilities, etc.
5. Issuing do's and don'ts for physically challenged persons for their personal security.
6. Identification of physically challenged persons living in the areas of each police station and their security and safety vulnerabilities lies upon the respective SHOs.
7. Regular visits of the beat officers to the residences of such persons.
8. Co-opting reputed local NGOs for ensuring the security and safety of such persons living in the locality.
9. Periodic inspection by senior police officers regarding progress of investigations of cases / complaints by such persons.
10. Public awareness programmes may be organized for sensitizing the general public about the security needs of physically challenged and their role in preventing any harassment to such persons, providing immediate help to any such victim and promptly reporting any incident of crime or atrocity to the police.

All Distt. DCsP are advised to draw up action plans for the security and safety of physically challenged persons. The toll free Help Lines Nos. 1091 & 1291 in PCR, already facilitated to Senior Citizens, can also be utilized in case of physically challenged persons.

The Jt.CsP/ Ranges will furnish the action plans for the security and safety of physically challenged persons to this PHQ within a week.

-Sd-

(KEWAL SINGH)
Additional Commissioner of Police,
Police Head Quarters, DELHI.

No. 101-200/Record Branch/PHQ dated, Delhi the 06/01/2009.

Copy forwarded to the :-

1. All Special commissioners of Police, Delhi.
2. All Joint Commissioners of Police/ Addl. Commissioners of Police, Delhi.
3. All districts/ Units Deputy Commissioners of Police, including FRRO, Delhi.
4. SO to CP & LA to CP, Delhi.
5. All Assistant Commissioners of Police/PHQ, including ACP/IT Centre (PHQ), Delhi.
6. All Inspectors in PHQ, including Reader to CP, Delhi.
7. Central Library, PHQ, Delhi.
8. HAR/PHQ with 10 spare copies.

Section B

3. Concept of Model Accessible Built Structures

3.1 Smart and Accessible Police Buildings

Police is typically responsible for maintaining public order and safety, enforcing rule of law, and preventing, detecting, and investigating criminal activities. These functions are known as policing. Police are often also entrusted with various licensing and regulatory activities.

If police stations and areas around police stations are made accessible, it will inspire confidence among the public in general and persons with disabilities in particular. It shall go a long way in making police smart and also people friendly.

A model accessible police building or a prison ensures all people- staff, visitors, complainants, accused persons, general public, visitors, vendors, under trials, prisoners etc. with or without fragilities and impairments due to age or disabilities to have access on an equal basis with others. The diversity of people is able to utilities the facilities therein such as reception, toilets, drinking water, etc. and have unhindered access to office rooms, senior officer's rooms and other facilities like canteen, ATMs, common seating area, recreational spaces, and even any game or sports facility available in that particular place.

Similarly, all the associated services, technology, websites, Apps used for feeding in the data, submission of applications, uploading of documents, payment of fees for services, etc. are also accessible.

An accessible Disaster Mitigation Centre ensures that it is inclusive for all ages and abilities and people with disabilities and seniors face no infrastructural barriers in the time of disasters when evacuated to these spaces and can lead a life of dignity while staying at these places.

Section C

4. Accessibility Guidelines for Built-up structures (Police Buildings, Prisons and Disaster Mitigation Centres)

Note: The below features are important for ensuring accessibility in external and internal elements in a built environment. For detailed specifications, the approved standards and guidelines such as the National Building Code of India and Harmonized Guidelines issued under the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 must be referred to for mandatory compliance.

4.1 For External environment:

i. Accessible Routes and Pathways and Ramps

- Access route to be provided connecting all major entrances and exits from the building and from alighting and boarding point to taxi stands and car parking lots.
- Pathways' width within the premises should measure a minimum of 900 mm for one way movement and 1,800 mm for two-way movement of persons with disabilities.
- Anti-skid surfaces of pathways with tactile flooring for guiding persons with disabilities.
- Slope of ramps within the premises should be easy to independently negotiate using a manual wheelchair complying with the approved standards (ranging from 1:20 to 1:12 depending on the vertical rise addressed by the ramp). Where vertical rise is more than two steps, an alternate staircase is also required. Ramps and staircases should have double height handrails on both sides for persons with ambulatory and non-ambulatory disabilities and for those with short stature.
- Comfortable circulation spaces for easy turning of wheelchair and other mobility devices

- Doors should have kick-plates for wheelchair users and lever types handles at reachable heights. Sufficient space on the latch side of the door to be kept free of obstruction for easy reach to open the door.

ii. Alighting - Drop off and Pickup Areas in Foyers

- Drop off and pick up areas should be identified and signposted both vertical as well as surface marking as per the approved standards in form of a temporary parking adjacent to the entrance.
- Entrance to police buildings should have unobstructed access to easily enter the building from the drop off areas.
- Tactile orientation for persons with vision disabilities be provided from main gate of the building and drop off areas to the reception.
- Anti-skid parking surfaces with tactile flooring for guiding PwDs.

iii. Accessible Parking

- Provide both directional and informational signages for accessible parking from the entrance gate.
- Distance of parking from entrance not to exceed 30 m from the building entrance.
- Parking bay dimensions for vehicles to be 5,000 mm X 3,600 mm
- International signage of accessibility (wheelchair sign facing right side) on the floor as well as vertical signage at 2100 mm height.
- At least one parking bay to be reserved for PwDs in a parking where no specific parking lot is provided. Two accessible parking lots should be provided for every 25 car parking spaces.
- Anti-skid parking surfaces with tactile flooring for guiding PwDs.
- If there are two accessible parking bays adjoining each other, then 1,200 mm side transfer bay may be shared between two parking bays.

4.2 For Internal environment :

i. Entrance to the building

- Entrance door to be accessible, preferably 1,000 mm wide.
- A tactile paving along with Braille and audio systems (beepers) to be provided at the entrance for persons with visual impairments.

ii. Corridors

- Sufficient Corridor width between 1,200 mm (for one way movement) to 1800mm (for two-way movement of wheelchairs).
- Anti-skid surface without glare with tactile flooring along pathways for guiding PwDs.
- Well illuminated corridors with diffused lighting with a minimum illumination level of 150 lux.
- Windows, Chairs, plants, fixtures, etc. must not obstruct movement of PwDs in the corridors.
- Sliding windows may be provided towards passage areas, ensuring clear vision into the usable spaces.

iii. Reception/ "May I help you?" Counter and Lobby Area

- Signposted in good colour contrast.
- Counter height to be a minimum of 750 mm and a maximum of 800 mm.
- Leg space (depth) below a counter to be 480 mm for bringing in a wheelchair.
- Knee space (height) below the counter to be 680mm-700mm.
- Induction loop with audio enhancing technology to be provided at reception for hearing aid users.
- Directional signage to be placed in the lobby area to public conveniences such as toilet, drinking water etc.
- At least one seating space with markings and dimensions of 900 mm x 1,200 mm in the waiting area to be provided for PwDs.

- Minimum width to range from 900 mm to a maximum width of 1,200 mm path is kept for the movement (Reach Zone) of PwDs.
- Chairs, plants, fixtures, etc. must not obstruct movement of PwDs.
- A clear tactile site map of the police stations, prisons and disaster mitigation centres indicating disabled friendly ramps, accessible washrooms and important areas be given at the entrance of the respective places and near the reception counter.

iv. Handrails

- Circular section of handrails to be provided with 38- 45 mm in diameter.
- Minimum clear space of 50 mm from walls to be kept.
- Non-slippery and non-reflective surfaces to be provided.
- Handrails to be provided on both sides of ramps and stair case extending 300mm beyond the ramp/stair run to provide stability for PwDs.

v. Elevators and Lift

- Lifts to be provided in the premises if the building is built beyond the ground floor.
- Internal lift car size to allow space of 1,500 mm X 1,500 mm, preferably be a 13-passenger lift.
- Within the lift, grab bars to be provided on three sides, except entrance.
- Control panels within the lift to be provided with a minimum height of 800 mm and a maximum height of 1,000 mm.
- Lift to be equipped with the Braille and auditory information systems.
- Lift lobby to have sign of accessibility identifying the accessible lift.

vi. Toilets

- Standard size of accessible toilet varies depending on the center or corner placement of WC. On ground floor a wider toilet with central

placement of WC is to be provided and additional accessible toilets in the building can be corner placement of WC.

- Minimum clear width of access door to be 900 mm.
- Access door should open on either outside or both sides.
- Grabs bars to be provided on both sides of the WC.
- Anti-skid surface in the toilet.
- Emergency-button, latches, and easy to operate handles to be provided.
- WC height should range from 450 mm to 480 mm.
- Accessible urinals for ambulant disabled as well as wheelchair users to be provided.
- Taps inside the toilet or washbasins should be provided at a maximum height of 800 mm and be lever type.
- Signages for location of accessible toilets to be provided at prominent places in the police station.
- Where the building has floors other than ground floor, each floor to have accessible toilets.
- Where ground floor has centrally placed toilet seats other floors can have accessible toilet with right and left hand corner placed WC on alternate floors with appropriate signage indicating the same.

vii. Staircase

- A staircase with a minimum width of 1,200 mm to be provided.
- Standards of staircase tread with a minimum of 300 mm and riser to measure a maximum of 150 mm.
- Landing after 6-8 steps to be provided.
- Double-height handrails with top of the lower handrail at 700 mm and 900 mm for upper handrail to be provided. Both level handrails to provide continuous hold without any barrier.
- Anti-skid flooring materials with tactile paving for guiding PwDs.
- Step to have 40mm colour contrast edges for better visibility.

viii. Doors

- Room doors should not open on pathways or circulation routes/corridors reducing their effective clear width required for accessibility, and a minimum of 900 mm clear space should be provided beyond the door opening area.
- Width of doors should measure between 900 mm to 1,200 mm.
- Door handles should not be more 1,000 mm of height and be lever type.
- Kick plates of width 300 mm to 400 mm to be provided on both sides of doors.
- A distance of 650 mm to be provided beyond the leading edge of doors to enable a wheelchair user to maneuver for reaching a handle.
- All two-way swing doors or doors in general circulation areas should be provided with vision panels giving a visibility from a height of 800 mm to 1,600 mm.
- Glazed entrance doors must have manifestations on glass preferably at two levels i.e. one between 800 to 1,000 mm and another between 1,400 mm to 1,600 mm above the floor.

ix. Drinking Water

- Low height water counter starting from 750 mm to 800 mm height.
- Leg space of 300 mm to 450 mm for wheelchair borne persons below the basin.
- Placement of this facility should be made at grade. If it is to be provided at a certain height, a ramp is required to access it.
- Drains and holes should not obstruct the movement of PwDs.
- Signages for location of accessible drinking water facility to be provided at prominent places in the police station.

x. Controls and Operating Mechanisms

- Control and operating mechanisms in the building meant for public use shall be at reachable heights as per approved standards. In case of wheelchair users, controls should be placed not less than 400 mm from corners of a room.

xi. Signage

- High contrast colours to be used.
- Visible text size depends on viewing distance, which could range from 2 m to 50 m. Text size to range from 6 mm to 150 mm.
- Maximum height of signages should be 750 mm.
- Signage to be located at prominent and visible places.

xii. Emergency Evacuation

- There should be emergency evacuation provision inside the premises.
- Along the emergency route, tactile floor guidance for persons with visual impairments needs to be provided.
- Designating evacuation routes and staircase shall be at least of 1,500 mm width.

xiii. May-I-Help-You Facility

- Every police station should appoint trained personnel for assisting PwDs.
- Beepers may be placed at all main entrances to enable persons with visual impairments to locate themselves.
- Facility booth should be placed near the entrance.
- Booth should keep at least the first aid box, evacuation chair, stretcher, and a wheelchair.

xiv. Canteen /Cafeteria

- Fully functional canteen or cafeteria with accessible furniture should be provided in every police station.
- Accessible Canteen shall have food shelves mounted at reachable heights for persons with disabilities.
- For movement, a minimum aisle space of 900 mm should be provided.
- Tables should have knee clearance below for wheelchair users.
- All these facilities should have step free access or made accessible through ramps.

xv. Automated Teller Machine (ATM)

- An accessible ATM should also be provided which has leveled approach, ramps and steps with handrails where level access to plinth is not available and sufficient space for wheelchair access and also has braille and audio enabled teller machine accessible to blind users.

Section D

5. Standards for Modern Police Station Buildings

5.1 The Revised Norms & Building Design address the following issues:

- a) The Six categories of Police Station Buildings were reduced to four categories of Modern Police Station Buildings.
- b) More space and optimum utilization of facilities at lower grade Police Station Buildings.
- c) Scope for future expansion.
- d) Basic amenities for women folks/cops.
- e) Provision of Community Policing Space.
- f) Provision of CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network & Systems).
- g) Provision of Machine Room/Modern Gadget Room/MT Room.
- h) Provision of Suspects/Witness Examination Room.
- i) Provision of Operations Control Room & Police Control Room.
- j) Provision of Dining Room with Kitchen & adequate Barrack space at police station.
- k) Security arrangements as per security risks.
- l) Accessibility and disabled friendly features in the Police buildings.

5.2 Under the revised norms, Police Station Buildings are graded into the following four categories:

- i) Modern Police Station Buildings in **Metropolitan City** like in New Delhi, Kolkata etc.

- ii) Modern Police Station Buildings in **Major City** like in Lucknow, Allahabad, etc.
- iii) Modern Police Station Buildings in **Semi-Urban Area** like in Noida & Gurgaon.
- iv) Modern Police Station Buildings in **Rural Areas**.

Plinth Area Norms

Modern Police Station	PLINTH AREA (Sq.m)	No. of Police Personnel	CAPACITY OF REST ROOMS + BARRACKS (Female & Male Staff)
Metro City	3300	Up to 250	15+(7+120) = 142
Major City	2800	Up to 200	11+(7+106) = 124
Semi Urban	2075	Up to 150	10+(7+76) = 93
Rural	1300	Up to 100	8+(Nil+28) = 36

5.3 Common Facilities in Modern Police Station Buildings under Revised Norms:

Considering the present-day functional domain of the police stations and the number of functions entrusted, the following common facilities have been provided in all the categories of the revised drawings of the Modern Police Station Buildings:-

- a) Disabled Friendly Entry: A gentle gradient ramp with railing on both sides at the entrance of Police Station Building for convenience of movement of persons with disabilities.
- b) Reception area with an accessible reception counter: A reception area having facilities for visitors to wait, for photographing the visitors. (Computer/Camera for recording the details of the visitor.) Issuance of visitor cards, Directions to the visitors to meet the concerned according to the requirement. This counter should be manned all the time by policemen

and policewomen together except between 10 pm to 6 am when the women can be removed and male staff can man the counter. There should be enclosed waiting area near reception in each police station where the visitors can sit comfortably and wait.

- c) Visitor & Disabled Friendly Toilet: A separate toilet for male, female & disabled visitors near the Reception Counter.
- d) Women Help Desk : A room at the entrance near the reception as women help desk to help & listen to the complaints of the female visitors.
- e) SHO Room : A large SHO Room near the Reception on Ground Floor for overall command & control of the Police Station Building. The SHO room to accommodate to 25-30 persons in Police Station of Metro City, 20-25 persons in Major City, 15-20 persons in Semi- Urban Area & 10-15 persons in Rural Area.
- f) Rest Room & Toilet : An attached individual rest room with SHO office and Inspectors office, due to long duty hours. A common rest room for 2 Nos. Sub-Inspectors. Each rest room with an attached toilet, with bathing facility.
- g) Room for officers in a Police Station: Each Inspector is provided an individual room. One room shall accommodate 2 Nos. of sub- inspectors and one room shall accommodate 4 Nos. Assistant Sub- Inspectors/Head Constables. Each ASI/Head Constable has work space and space to accommodate 2 No. visitors. A large room is provided for Constables also.
- h) Ladies Room: A Separate office room for lady police official on duty with an attached toilet.
- i) Community Policing Room: A large room for community policing where persons from the local community can come and resolve their matters with the help of the police personnel

- j) Malkhana: A Malkhana for case property and a Malkhana for Government property with modern storage system, (as implemented in CBI, NIA and Police Stations of some State Police). A workstation for Malkhana officer adjacent to the Malkhana. The seized explosives shall not be kept in Malkhana. They shall be kept in magazines, away from the police station.
- k) Armoury/ Kote (Bell of Arms) : Armoury for safe upkeep of the arms & ammunition issued to the police. It shall be specially constructed giving greater strength to the walls. A small extension to Armoury shall be there, where cleaning of arms can take place.
- l) Suspect/Witness Examination Room : A room is provided for witness examination, where the witnesses coming to the police stations can be examined. This can also be used for talking to the complainant. For women witnesses a separate enclosure should be provided, which can also be used for examination of sexual assault victims.
- m) Conference/Briefing Room: Each Police Station Building shall have conference/Briefing room where important meetings/operations can be discussed. It shall have a latest facilities such as TVs, maps/ digital maps, projection system and video conferencing.
- n) Lockup: Each Police Station shall have lockups as per the NHRC guidelines for men and women separately. The lockups shall be provided an internal toilet with low walls. One lock up should have a wider toilet with WC to allow accessibility for a person with disability particularly wheelchair users. A separate lock up is needed for Transgender persons. The edges of the wall shall be rounded and there shall be no sharp element in the lockups with which the person in the lockup can harm himself. All the Lockups shall be monitored through CCTV cameras which should be operational 24X7 as being done in police stations in some South Indian States.
- o) Wireless and Communication Room: A separate room is provided for wireless & communication equipment. This room shall be air- conditioned

- for the safety of the telecommunication equipment (as per the climatic requirement).
- p) Room for CCTNS terminals: A separate air-conditioned room for CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) terminals.
 - q) Record Room: A large Record Room with adequate shelving to keep the old records safely & properly.
 - r) Store Room : A Store Room with adequate shelving for storing stationary etc.
 - s) Barracks: Separate Barracks have been provided for ASI/Head Constable & Constables on upper floor of the Police Station Building where the officials can rest after the working hours. These barracks have adequate number of toilets with W.C., urinals & bath areas.
 - t) Barracks for Lady Officials : A separate barrack for lady police personnel which is located at a suitable place away from the male barracks.
 - u) Recreational Room & Gym : Large room with Gym equipment for the fitness of the police personnel have been provided. A separate Recreation/TV room also have been provided for recreational activities of the police personnel staying in the barracks.
 - v) Sankraman Room/Interrogation Room : A separate Interrogation Room is provided near the SHO room.
 - w) Reader Room : A room is provided for the Reader/PA with the SHO room for functional convenience.
 - x) Counseling Room: A Counseling room has been provided where the police official can counsel the complainant/visitor on small matters.
 - y) Duty Officer : A room for Duty Officer is provided with attached toilet for officer on duty round the clock.

- z) Canteen+Kitchen : A Kitchen with modern equipment and cafeteria with modern furniture has been provided for the police personnel staying in the barracks and for the police personnel on duty.

5.4. The **Architectural drawings** as per revised norms have been prepared to create uniformity in Police Station Buildings as well as distinctive identity to police stations in a state. Adopting a uniform color code on external surface of police station buildings throughout a state shall make it easier for a common man to easily recognize Police Station among other buildings. The Modern Police Stations build as per these revised norms, will be supportive and in consonance to SMART Policing Concept, recently adopted by Ministry of Home Affairs, Government of India. Efforts have been made to make these Police Stations Gender Sensitive, Modern, Smart and Techno-Savvy.

The Revised Norms are Basic Guidelines for planning and constructing a new Police Station Building. These norms shall help the States/ UTs/ & CAPFs to plan an efficient Police Station Building conforming to basic amenities for visitors, provision of adequate spaces for various activities in a Police Station Building to improve the working condition and use of latest technology.

The Category/ size, number of floors & building dimensions of the Modern Police Station in terms of Plinth Area shall be as per the individual requirement of the State, availability of land (hilly region or flat region), prevailing building byelaws and available Funds/Resources.

It is advisable that usable spaces in police station buildings are segregated based on Crime related and non-crime related activities, such as, Lock-up rooms, Investigation rooms are located on one side whereas, Passport verification, counselling, verification of applications, etc. are located on other side.

These revised norms shall serve good for next ten to fifteen years and may then be modified as per the needs at that time.


5.5 Under the revised norms-2016 Norms for Modern Police Station Buildings (2016), Police Station Buildings are graded into the four categories. Architectural

drawing/ Police Station Building Layout Plans of these graded categories are suggested as below:

- i) Modern Police Station Buildings in **Metropolitan City** like in New Delhi, Kolkata etc.
- ii) Modern Police Station Buildings in **Major City** like in Lucknow, Allahabad, Madurai etc.
- iii) Modern Police Station Buildings in **Semi-Urban Area** like in Noida & Gurgaon.
- iv) Modern Police Station Buildings in **Rural Areas**.

5.6 LAYOUT OF POLICE STATIONS AT METRO POLITAN CITY

5.6.1 GROUND FLOOR PLAN OF MODERN POLICE STATION WITH ACCESSIBILITY



5.6.2 Explanation of Legends (1 to 10)

Common for architectural drawings of all Categories of Modern Police Station Buildings

1. Designated accessible parking space near the ramp and at not more than 30 m from the main entrance.
2. To make the entrance accessible, 1.5m- 2m wide ramp be provided with no steeper than 1:12 gradient and handrails should be provided on both sides of the ramp that continue on landings. Handrail Extension of 300 mm before and after the ramp run shall be provided. Tactile Warning tiles shall be provided 300mm before and after the ramp and stair run.
3. For the double leaf doors at the entrance, min clear width of one of the leaves must be 1000 mm and force required to open it should not exceed 22N.
4. All the doors including that of toilets should have a minimum clear width of 900mm for easy accessibility for all.
5. Reception counters should be easily identifiable and should be at two heights catering to wheelchair users & people with short stature as well as ambulant disabled. The lower counter should be at height of 750mm-800 mm with knee clearance of 680-700mm. Counter extensions 480 mm should be provided.
6. An elevator is integrated near the staircase area in order to promote barrier free vertical accessibility. The minimum internal size of the lift car should be 1500x1500mm which allows easy maneuverability of wheelchair user.
7. Toilets are modified to accommodate ambulant disabled friendly WC. In a set of single sex toilets (for ladies or gents), there shall be one WC for the use of the ambulant disabled persons that provides 900mmx900mm activity space in front of the WC, have L shaped handrails on both sides of WC and the door shall open outwards.

8. A unisex universally accessible toilet should be provided with minimum internal dimensions of 2200 X 2000 mm with an independent entry from the corridor and not from the single sex toilets.
9. Entrances of Malkhana and Armory Room has been modified to accommodate an accessible toilet on the floor.
10. Tactile or guidance marking, Information & Directional signages are to be provided. Especially, at entrance, reception and other crucial spaces

(Refer approved accessibility standards for detailed specifications)

5.6.3 FIRST FLOOR PLAN OF MODERN POLICE STATION WITH ACCESSIBILITY


AT METRO POLITAN CITY



FIRST FLOOR PLAN
COVERED AREA AT FIRST FLOOR = 750 SQ.M.

5.6.5 THIRD FLOOR PLAN OF MODERN POLICE STATION WITH ACCESSIBILITY


AT METRO POLITAN CITY



THIRD FLOOR PLAN
COVERED AREA AT THIRD FLOOR - 796 SQ.M.

5.7 LAYOUT OF POLICE STATIONS AT MAJOR CITY

5.7.1 GROUND FLOOR PLAN OF MODERN POLICE STATION WITH ACCESSIBILITY



5.7.2 FIRST FLOOR PLAN OF MODERN POLICE STATION WITH ACCESSIBILITY




FIRST FLOOR PLAN
COVERED AREA AT FIRST FLOOR=600 SQ.M

5.7.3 SECOND FLOOR PLAN OF MODERN POLICE STATION WITH ACCESSIBILITY



SECOND FLOOR PLAN
COVERED AREA AT SECOND FLOOR-900 SQ.M


5.7.4 THIRD FLOOR PLAN OF MODERN POLICE STATION WITH ACCESSIBILITY



5.8 LAYOUT OF POLICE STATIONS AT SEMI URBAN AREA

5.8.1 GROUND FLOOR PLAN OF MODERN POLICE STATION WITH ACCESSIBILITY

AT
SEMI URBAN AREA




GROUND FLOOR PLAN
COVERED AREA AT GR. FLOOR=875 SQ.M

5.9 LAYOUT OF POLICE STATIONS AT RURAL AREAS


5.9.1 GROUND FLOOR PLAN OF MODERN POLICE STATION WITH ACCESSIBILITY

RURAL AREA



GROUND FLOOR PLAN
COVERED AREA AT GR. FLOOR-900 SQ.M

5.9.2 FIRST FLOOR PLAN OF MODERN POLICE STATION WITH ACCESSIBILITY



FIRST FLOOR PLAN
COVERED AREA AT FIRST FLOOR - 500 SQ.M

Section E

6. Standards for Modern Prison / Jail Buildings


6.1 A National level Architectural Design Idea Competition for Jails was initiated by BPRD keeping following points as the basis to improve upon the existing Prison designs, so as to rehabilitate the inmates in jail by providing the best possible humane environment:

- 1) Concept and design of various categories of Prisons, such as for male under-trials, male convicts, women's prison, high security ward, etc. depicting the interrelationship of various spaces, sizes and their layout in the Prison complex.
- 2) Land/area requirement for various categories of prisons
- 3) Capacity of jails with possibilities of future expansion
- 4) Integration of latest technology required for security and ease of administration of jails at the planning and construction stages
- 5) Environment friendly design
- 6) Best practices to address the following issues:
 - a) Overcrowding of inmates
 - b) Security, surveillance, physical separation, confinement in prisons
 - c) Health and Hygiene of inmates in terms of sanitation, drinking water, cooking, dining, etc.
 - d) Residential accommodation for staff in jail complex, not exceeding 20% of the gross land area.
 - e) Road layout is such that it provides single point vehicle access to each building.


- f) Three wall system required on three sides of the jails and not on the residential complex side.

6.2 With above guidelines, a national level architectural design for jails was evolved, taking care of **accessibility concept for Persons with disabilities** as well, in terms of Accessible Routes/ Pathways and Ramps, Parking, Entrance to the building, Corridors, Reception and Lobby Area, Handrails, Elevators and Lifts, Staircase, Toilets, Doors, Drinking Water, Signage, etc. Some of the modern Prison **drawings with accessibility concepts** are as below: -


Prison Master Plan



Admin Block



Learning Center




Womens Prison




High Security Prison




Hospital



Mens Prison Complex




Barrack For Mens Prison




Pictorial View of a Modern Prison Design-1

The design of Central Prison should enable a place that is humane, secure and easy to administer. It should provide a setting for the prisoner to reform through work + education + play + health routine with the help of the support staff. This is done by specific design strategies for the whole as well as each part of the Prison.



Pictorial View of a Modern Prison Design-2



Section F

7. Standards for Disaster Mitigation Centres

7.1 The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (DRR) 2015–2030 adopted at the Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction, acknowledges that DRR requires an all-of-society engagement and partnership, which promotes the empowerment and accessible and non-discriminatory participation of all people disproportionately affected by disasters, including people with disabilities. A gender, age, disability and cultural perspective should be integrated in all policies and practices, and women and youth leadership should be promoted. In this context, special attention should be paid to the improvement of organized voluntary work of citizens who are also sensitized and trained to handle the needs of persons with disabilities;

7.1.1 Section 8 of RPWD Act deals with Protection and safety of persons with disabilities and provides that the persons with disabilities shall have equal protection and safety in situations of risk, armed conflict, humanitarian emergencies and natural disasters. And that the National Disaster Management Authority and the State Disaster Management Authority shall take appropriate measures to ensure inclusion of persons with disabilities in its disaster management activities as defined under clause (e) of section 2 of the Disaster Management Act, 2005 for the safety and protection of persons with disabilities. The District Disaster Management Authority constituted under section 25 of the Disaster Management Act, 2005 shall maintain record of details of persons with disabilities in the district and take suitable measures to inform such persons of any situations of risk so as to enhance disaster preparedness. The authorities engaged in reconstruction activities subsequent to any situation of risk, armed conflict or natural disasters shall undertake such activities, in consultation with the concerned State Commissioner, in accordance with the accessibility requirements of persons with disabilities.

- 7.1.2 People with disabilities, older people, pregnant women, children and other at-risk groups are often forgotten in Disaster Risk Reduction (DRR) and left behind when disaster happens. They are excluded from disaster preparedness measures, are invisible when it comes to community and risk mapping or evacuation planning, find it harder to access shelters and safe spaces due to environmental and attitudinal barriers or protection risks, and receive inadequate or inappropriate relief and support.
- 7.1.3 Natural hazards pose threats to the well-being of all people. However, it affects some people disproportionately such as senior citizens, children and those with disabilities. The purpose of the guideline is to provide practical directions to support implementation mechanisms of Climate Change based on established and nationally accepted norms and practices so that all stakeholders will implement and carry forward the process.
- 7.1.4 DRR is increasingly recognized as an essential part of community development in a world threatened by, and increasingly experiencing, climate change, natural hazards and conflict-related emergencies. Inclusive DRR is needed to ensure that the Community Based Inclusive Development (CBID) approach contributes to sustainable, inclusive and resilient communities that can withstand disasters. Concurrently, CBID work is a vehicle for building resilient communities. The path to resilience is highly contextual, but always requiring a participatory approach. Only by working with persons with disabilities, communities can identify what is needed to increase resilience and reduce the risks in any particular context.
- 7.1.5 Thus, this guideline will:
- 7.1.5.1 Contribute to the knowledge base by providing disability inclusion actions in disaster mitigation, preparedness, response, and recovery efforts.
- 7.1.5.2 Highlight the strength of persons with disabilities and their representative organizations to facilitate action.

7.1.6 The guidance proposed through this Chapter, will inform and assist implementation, aid the stakeholders in reducing vulnerabilities and increasing resilience of persons with disabilities in the Disaster Risk Reduction (DRR). These guidelines are intended primarily for Government officials/ administration working in the field of DRR at national, state and local level, International NGOs (INGOs), Persons with Disabilities, Disabled People's Organizations (DPOs). Other stakeholders include Non-Government Organizations (NGOs) working in disability/ disasters, disability activists, care givers, schools, health actors, elected representatives working in DRR, Media, etc.

7.1.7 These Guidelines are drawn from a detailed review of existing available resources and guidelines and governance mechanisms practiced in disaster risk reduction. It consists of diverse government, UN and academic sources as well as information from Disability International Non-Government Organizations (INGOs) and DPOs. The methodology took into account the activities and sectorial priorities of various stakeholders, available capacities at national, state and local levels. An important contribution was made by persons with disabilities and DPOs.

7.1.8 Before embarking on the guidelines for the disability inclusive actions in all the phase of the DRR such as mitigation, preparedness, response, recovery and rehabilitation, it is important to understand the risks and gaps that persons with disability face in general and specifically in disaster situations. It is only then that a disability inclusive approach would be effective.

7.2 Adoption of Universal Design Principles, Facilitation of Accessibility and Access to Assistive Technology

7.2.1 DRR is increasingly using technology to overcome the adverse effects of disasters and climate change. Technology can include persons with disabilities in the information system in meeting challenges of disasters. Information and Communication Technology (ICT) enabled warning

systems such as SMS, emails and twitter alert people of an impending disaster. It can also show evacuation routes and places of safe shelters. However, with enhanced use of social media and growing number of web sites, inaccessible technology or ICT creates more harm than good for the persons with disability. They are generally uninformed and dependent due to non-use of the available alternative system of communication which has accessible features of the technology. The screen may not be readable by those without or with low vision. The YouTube or radio and Television warning without sign language interpretation and audio description leave those with hearing impairment and visual impairment respectively out of the information system. Therefore, the disaster management personnel have to look upon ICTs as a tool to level the playing field and go around the traditional access barriers to reaching persons with disabilities. At the same time, they have to be cautious that ICT-enabled disaster and emergency management does not pose further barriers due to inaccessibility – in a disaster or emergency situation, being shut out of information sources and being unable to connect with relief personnel or resources can prove fatal. For example, websites should be designed to be accessible and follow the latest version of Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) developed by the Web Accessibility Initiative of the World Wide Consortium. If websites are not designed to be accessible, people using assistive devices or needing alternative means of input/output will be unable to access the information

7.2.2 Physical inaccessibility can also have fatal consequences as it is connected to access to food, water, medical aid, shelters and transport. When accessible routes and shelters are not available, the persons with disabilities are at higher risk. Loss of mobility and other aids can leave persons out of relief and reconstruction processes.

Principles of universal design and reasonable accommodation in all phases of DRR are required and need to be part of preparedness. More trained

professionals and workers on universal designs, and capacity building of first responders and service providers is required. The physical accessibility of the built environment created for the Disaster Mitigation Centres shall comply with the Harmonized Guidelines and space standards issued by Ministry of Housing and Urban Affairs (as updated from time to time).

7.2.3 Preparedness and Mitigation Strategies

There will be exclusion of persons with disabilities from preparedness and mitigation strategies when there is no prior mapping of locations of persons with disabilities, listing of resource needs; identification and mapping of health care institutions; location and mapping of special educators, therapists and professionals (audiologists, speech therapists, sign language interpreter etc.) and accessible transport which not only affects the persons with disability but also the resilience of their communities.

Persons with disabilities may need continuous use of health services and life saving devices and medicines and are placed at higher risk if these are not available. A national stockpiling of durable medical equipment, life saving devices (respirators) and supplies to communities, trauma needs would help in saving their lives and reduce the chances of increasing their disability.

In case an inclusive system is not in place (trained communities) for saving lives of persons with disabilities whose care / personal assistance might abandon them or are killed by the disaster, the persons with disabilities face higher risk. In most cases physical inaccessibility and non-availability of sign language interpreters to interact with those with communication disabilities leave such persons out. Therefore, technology shall be used to make communication accessible so that it doesn't remain only verbal or visual but makes all components of communication accessible to people with diverse needs and disabilities.

7.2.4 Search, Rescue and Evacuation (SRE)

Getting injured due to their reduced capacity to react quickly, not being informed about evacuation and unaware of training protocols leave persons with disabilities, unprepared during SRE operations. A lack of adequate data about the numbers, location and needs of individuals with disabilities remains a critical barrier in meeting needs during the SRE and relief stages of DRR.

Disability gets worse in the SRE process as family and personal attendants whom persons with disabilities depend on may be injured or have died. There may be no volunteers or those replacing them may not be informed or professionally trained in the use of special techniques or procedures in SRE for the diversity of disabilities. Besides the loss of assistive devices, persons with psycho- social or intellectual disabilities living in institutions may be at high risk as they may be excluded. There might be loss of mobility and hearing aids and Global Positioning System (GPS) tracking devices used by persons with intellectual disabilities may be lost or become nonfunctional.

Accessible Transportation for evacuation during Floods: - High waters during floods make usual modes of evacuations difficult to implement. Boats are frequently used for evacuations in flooded areas. However, these boats can be built or modified to be able to accommodate people with mobility disabilities who use wheelchairs. There are many examples of how to make different kinds of boats accessible for persons with disabilities such as ones equipped with a ramp and accessible latrines or boats with flat floors with one side that can be brought down to provide a roll-on/roll-off ramp (e.g. see Wheelyboat).

Equipment for vertical evacuations: - High-rises and multi-storey buildings pose a major challenge during evacuations for people with mobility disabilities as lifts may not work. Several kinds of aids are available to evacuate persons using wheelchairs using the staircases such as

evacuation chairs which are designed to help a person using a disability to go down a staircase instead of a lift. These chairs are designed so that even a single person can assist in the evacuation of the person using a wheelchair. These can be purchased in advance in office buildings and by evacuation teams and rescue workers. However, it is important that users are regularly trained in accurately and quickly using these chairs.

7.2.5 Access to Relief

Standards which do not include disability specific provisions in relief protocols for adversaries, lay the foundation of a discriminatory system. When disability is overlooked in emergencies those affected will be unable to access relief and reconstruction requirements.

Relief camps, mass feeding centres, portable toilets, temporary housing are generally inaccessible and in case of food dropping process, they may face food insecurity due to absence of volunteer support services in gaining access to food. Starvation and malnutrition amongst persons with disability aggravate if water and food distribution points are inaccessible and located at far-off distances and managed by untrained relief workers.

With no bar codes or electronic tracking, expensive equipment and assistive and mobility devices (wheelchairs, hearing aids, Braille translator, crutches, prostheses, respirators etc.) are lost or becomes inoperable during emergencies, limiting the access to relief.

Accessible transport which is safe, reliable and timely and para-transport (small vehicles, auto and cycle rickshaws) is required for door to door evacuation but may not be available or demarcated for their use and therefore would restrict persons with disabilities' option to access relief.

People during disasters acquire physical impairments such as spinal cord or brain injuries, but critical care without prior planning may not be available.

7.2.6 Rehabilitation and Reconstruction (R&R)

Persons with disabilities continue to encounter diverse challenges when the rebuilding efforts do not incorporate universal design or inclusive resources. The process to "Build Back Better" needs to include infrastructure (shelters, schools, houses, public buildings etc.). If not adhered to, persons with disabilities may have to deal with exclusion from both relief and reconstruction initiatives due to inaccessible relief distribution centres, and far off sites which provide aid. Housing for them might not be only inaccessible but also not be integrated in community housing.

If there are no social safeguard systems for those who have lost employment for re-entry in the workforce with reasonable accommodation, and no access to poverty eradication schemes, their economic levels may decline even further. The situation may aggravate if their disability related expenses rise and they have no access to information of government schemes available during the recovery stage. Those with newly acquired disability may be left out of any R&R system as they are not registered.

Trained DPOs who could be of great importance to facilitate access to resources, may not be listed or recognized as service providers to persons with disabilities during the R&R process. There is a need for inclusion not only of persons with disabilities and their care givers but also disability organizations.

For persons with spinal cord, head injury etc. long-term rehabilitation is required but specialized rehabilitation services are limited in India and may be too far from their place of residence.

7.2.7 Women and Girls with Disabilities

Disasters exacerbate existing gender inequalities. Women with disabilities can continue to be left out of participation in DRR due to existing social discriminatory attitudes and may not be considered as competent even

though communities benefit from their knowledge and skills in strengthening resilience.

They may be found to be at risk and vulnerable to violence specifically sexual and gender-based violence inside the house and in public spaces (schools, workplace, hospitals etc.), and could be trafficked. If there is no security systems either law enforcement or community based, their vulnerabilities will increase. They may frequently be excluded from social support services if they have mobility problems, and left behind in camps / temporary housing during displacement after disasters or when they migrate to unsafe places.

Women are not a homogenous group and some such as female headed households and single young women may suffer more than others. They are usually provided few opportunities to express their needs or included in decision making.

7.2.8 Children with Disabilities

Children face heightened risks to impacts of disasters and climate change. They may be susceptible to physical, sexual and emotional abuse, trauma augmented when schools do not follow safety norms. They become deprived of access to schools and health care. Trauma and mortality of children with disabilities increases if teachers and children are untrained in SRE. School safety for children with disabilities may not be included in specific mainstream programs, especially if special schools are left out of school safety programs.

Capacity in children to face barriers during emergencies could be low and they may not access adequate health, physical rehabilitation and psychosocial recovery facilities. Children with disabilities are provided few opportunities to express their needs or inclusion in decision making. Strong child protection mechanisms need to be operational in a disaster region to protect the rights of children and reduce their exploitation.

7.2.9 Elderly Persons

With a projected increase of elderly population, the number of elderly people with disabilities also increases during disasters. Destruction of health infrastructure or overburdened services would impact the health status of persons with disabilities in disasters and climate change.

They could have chronic diseases, total visual impairment, and rarely any insurance. DRR process may not have taken into account the aging process.

A section of the elderly population who are women and specifically widows and come from a rural poor background are at higher risk of being excluded from access to resources especially, food, potable water, safe shelter and hygiene necessities and sanitation. Elderly people may not be consulted or given decision making roles.

7.2.10 Persons with Psycho-social Disability

Persons with psycho-social disabilities have the right to be recognized as persons before the law having legal capacity on equal terms as others. They are at high risk as there is inadequate data or indicators to monitor the process of inclusion.

Knowledge on the right to legal capacity may not exist among responders and service providers and so no action may be taken up by them. Many may be admitted in places of detention and may not be included in any capacity building. Due to stigma attached to mental health, few efforts are made to provide counseling and services or attempts made to include them. Health services might be provided without informed consent.

7.3 From Risks and Gaps to Inclusion

People with disabilities do not have "special" needs, but they face challenges in meeting inclusion in DRR. From the above it is obvious that the gaps span a large diversity of issues. To overcome them in disaster

situations would mean a strong preparedness strategy across risks. When identifying risk, it has to be considered that it may exist at multiple levels for example for persons with developmental or psycho social disabilities or women, children or elderly, it would require identification and vulnerability assessment to understand their needs and capacity building to empower them. Risk can be related to a person's functional capacity which could be improved by the access to health services such as rehabilitation, assistive devices, information and capacity building but social inclusion is imperative as the latter would not only mitigate risk but enhance decision making roles. Persons with disabilities require enhanced capacity to be involved in both risk assessment and reduction. Physical and communication accessibility and capacity building would help their participation in all DRR responses on an equal basis with all others and gain the visibility of the issues.

7.3.1 It is important that we recognize the following:

- a) The heightened risks and vulnerabilities arising out of social, attitudinal and environmental barriers.
- b) That, persons with disabilities are not a homogenous group they have different capacities and requirements and have to cope with different circumstances.
- c) That this is not a matter of "special needs" but rather prioritizing the adoption of alternative systems for implementation.
- d) That participation of persons with disabilities is important as they have key capabilities and actively including them as disability experts in DRR would help mainstream disability concerns and contribute to their constitutional right to equality.


7.4 Suggested actions to realize Inclusive Disaster Mitigation Centres

- a. Availability of disability-inclusive disaster risk reduction plans.
- b. Monitoring systems in place for tracking implementation of inclusive policies.

- c. Availability of disability-inclusive training modules, materials and trainers for all relevant service personnel.
- d. Creating and disseminating information packs and training kits in accessible formats for persons with disabilities and manuals for training first responders and other relief personnel.
- e. Making website and web sites of other relevant and associated bodies accessible as per the WCAG 2.0 standard.
- f. Quantitative increase in disability-inclusive DRR practices at local, regional and national levels;
- g. Develop disability inclusive multi-hazard early warning systems.
- h. Collaboration and support of research in the field of data production, disaggregation and conceptualization of barriers and facilitators at academic and field level.
- i. Disaggregated data on the differential impact of disasters on the persons with disability
- j. Availability of psychosocial support service personnel that have the capacity to assist persons with disabilities affected by disasters;
- k. Ensure that all relief personnel as well as persons dealing with emergencies on a day-to-day basis are sensitized and trained to cater to the needs of persons with disabilities.
- l. Ensuring that persons with disabilities are included into evacuation drills.
- m. Retrofitting all existing shelters to make them accessible and ensure new centres are accessible from the design stage.
- n. Make disaster and emergency services accessible.
- o. Availability of assistive devices and technologies for persons with disabilities in preparing for and responding to disasters.
- p. Coverage in training
- q. Corpus establishment for DiDRR,
- r. Enforce accessible and resilient infrastructure models including schools, hospitals and shelters following the principles of universal design

- s. Sub-national and national reporting on SFDRR implementation.
- t. NGOs and DPOs programmatic interventions and report analysis.
- u. SDGs country reports

7.5 Few samples of architectural drawings of one Disaster Mitigation Centre (Multi-purpose Cyclone Shelter) in Gujarat are as below for ease of reference:



Section G

8. Associated Services with Built-up Infrastructures, such as, Police Stations, Prisons, Disaster Mitigation Centres etc.

8.1 The Persons with Disabilities face barriers that hinder, restrict and prevent them from exercising their rights on an equal basis with others, which constitutes a violation of their dignity. It is, therefore, very important to place an emphasis on the interaction with the barriers that prevent or hinder the full and effective participation of persons with disabilities in society. Consequently, the State has as its main obligation and priority to eliminate barriers and create conditions for equal opportunities.

8.1.1 It is important to ensure universal access to physical environments, transportation, information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services, both in urban and in rural areas, and ensure all forms of accessibility within the Police institutions.

8.1.2 It is necessary to take all appropriate measures to ensure that reasonable accommodation is provided during the execution of police services, namely the necessary and appropriate modifications and adjustments that do not impose a disproportionate or undue burden, when required in a particular case of police procedure. Consider that the denial of reasonable accommodation is understood as discrimination on the basis of disability.

8.1.3 For instance, a tactile site map of the police stations building indicating disabled friendly ramps, platforms, staircases, washrooms, drinking area, important rooms and offices etc. provided in readable/ viewable/ accessible format at the entrance and at reception can be a great enabler. The map and related information regarding available accessibility facilities should be made available online through related apps and websites.

8.1.4 Accessibility Audits must be carried out by a team consisting of Competent Access Auditors, Persons with disabilities, Police Officials of all the Police

Stations, Prisons and Disaster Mitigation Centres on regular basis. On the basis of the Audit Report, regular maintenance and renovation must be carried out to make the infrastructure more accessible in compliance with the RPWD Act.

- 8.1.5 Compliance with norms on accessibility, as revised from time to time, should be stipulated as a mandatory obligation in all procurement contracts for any products and services initiated by Police, Prisons and Disaster Mitigation Centres. To incentivize greater compliance with accessibility and universal design norms, it should be factored in the assessment criteria for the evaluation of vendors. Differently stated, vendors who comply with such norms should be given an edge as opposed to their counterparts who don't for all associated services, products, designs etc.

8.2 Access to Information and Communication

- 8.2.1 It is necessary to take all necessary steps to eliminate discrimination caused by the barriers faced by some persons with disabilities while communicating with dealing persons. Therefore, the use of new information and communication technologies need to be promoted in order to facilitate communicative and accessible interaction. Thus, besides the accessible design, the development and production of Police websites and institutional social networks for persons with different types of disabilities is very necessary.

- 8.2.2 Besides, various '**App based services**' are in use for **making complaints with Police stations, registering FIRs, recording of criminal incidents, making enquiries for various application forms, police verifications, uploading of documents**, etc. For example: UPP Lost Report App, Raj Cop and Raj Cop Citizens, Saathi (Anand Police and Valsad Police). However, all such applications should be made accessible for persons with visual impairments by making available all the information on the app in a readable form. Sign language videos must also be made available on the apps to help people with hearing impairment to understand the usage of the

app. All the features of the mobile app should also be made accessible through a website which can be accessed through a computer.

8.2.3 Accessibility and social audits of websites & associated services, should be conducted periodically by Competent Access Auditors along with concerned officials and recommendations implemented to comply with the RPWD Act 2016.

8.2.4 **Facilitating communication through Registered Intermediaries.** Often communication is a huge challenge for persons with disabilities at police stations and judicial and correctional forums. For ensuring the safeguards for persons with disabilities who are suspected of a criminal offense, protocols with respect to the presence of pre-trial safeguards, a registered intermediary scheme should be considered. This will safeguard the interests, rights, entitlements, and ensure that persons with disabilities are treated in a fair and just manner and are able to participate effectively in the justice dispensation set-up. A registered intermediary should be a professional with specialist skills in areas such as speech and language therapy, counseling, rehabilitation, nursing, occupational therapy, education, or psychology, social work whose role is to facilitate communication during a police investigation and at trials. Registered Intermediaries are also available to assist police officers who are interviewing vulnerable witnesses. In all cases, the intermediary completes a comprehensive assessment of the vulnerable person's communication needs and makes recommendations in a written report of how the person should be questioned.

8.3 Standards to be followed for Websites, web and mobile applications

8.3.1 All websites, web applications, mobile applications etc. developed by any police department, prison authorities or disaster mitigation departments shall comply with Guidelines For Indian Government Websites prepared by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India. (as updated from time to time) and be

STQC certified. Documents to be placed on websites shall be in Electronic Publication (ePUB) or Optical Character Reader (OCR) based pdf format. Those running institutional social networks must be trained to ensure that the content is accessible for persons with disabilities, for instance, pictures must be accompanied by image descriptions for visually impaired citizens and such further compliance as may be needed under Rule 15 of RPWD Rules as well as IS 17802 Accessibility for the ICT Products and Services.

- 8.3.2 Existing applications will also be suitably modified to enhance accessibility features and assistance for persons with disabilities as per standards/certifications within a time bound manner as specified by the Rights of Persons with Disabilities Act.

[Note: Standardization Testing and Quality Certification (STQC) Directorate is an attached office of the Ministry of Electronics and Information Technology, Govt. of India]

- 8.3.3 The police must encourage active listening to the PwDs, ensuring that officers will make the best effort to understand what the person with a disability wants to convey, allowing them as much time as necessary to do so. It must be ensured and confirmed in the police procedure that the person with a disability has understood the information expressed by the officers.

- 8.3.4 There is a need to establish mechanisms to enable human assistance to persons with disabilities, including readers, professional sign language interpreters and experts in the legal & procedural field.

8.4 Guidelines for Accessibility in Associated services for Police Stations, Prisons for persons with disabilities etc.:

- 8.4.1 To take care of all necessary steps to eliminate discrimination caused by the barriers faced by some persons with disabilities while communicating with the concerned police officer.

- 8.4.2** To promote and facilitate the use of sign language and various communication systems, such as Braille, augmentative and alternative modes, means, and formats of communication.
- 8.4.3** To promote the use of new information and communication technologies in order to facilitate communicative and accessible interaction.
- 8.4.4** To promote accessible design, development and production of police websites and institutional social networks for persons with different types of disabilities.
- 8.4.5** To ensure and confirm in the police procedure that the person with a disability has understood the information expressed by the officers. Also, to establish mechanisms to enable human assistance to persons with disabilities, including readers, professional sign language interpreters, experts in the legal and procedural field.
- 8.4.6** To guarantee access for women and girls with disabilities to information and services available in the area of gender-based violence, ensuring that formats are always accessible. Special consideration should be given to deaf women who primarily use sign language which may be standard form of Indian Sign Language or indigenous signs developed by the person to communicate
- 8.4.7** To establish and implement various communication systems for deaf persons, such as text messages, video calls with sign language interpretation, translation of documents in sign language, among others, to ensure that they can communicate with police personnel.
- 8.4.8** To provide accessible information in audio and Braille format so that visually impaired persons can communicate with police personnel.
- 8.4.9** To support verbal and/or written language with images or pictograms when dealing with persons with intellectual disabilities.
- 8.4.10** To ensure all aspects of accessibility for persons with disabilities in both urban and rural settings, the following should be considered:
- a) Suitable lighting for persons with low vision,
 - b) Warning tapes, especially on the stair steps for persons with visual impairment.

- c) Service desks with different height levels for persons with short stature, skeletal dysplasia, persons in wheelchairs, among others.
- d) Have accessible hygienic services, WC at wheelchair height with folding support bar and free space around it, sink with enough frontal space for a wheelchair, an easy-to-handle faucet, and have a radius of movement on the axis of 1.5 mts.
- e) Have a bunk, stretcher or other similar device in the bathroom so that women with spinal cord injuries can perform their physiological functions properly.

- 8.4.11** To provide protection at all times, the dignity of the person with a disability when accessing and moving around the premises.
- 8.4.12** To ensure comfortable and safe places, at the request of the person with a disability, to give confidential testimony during the taking of statements and reports, except when the person with a disability wants to give his or her testimony publicly.
- 8.4.13** To have a remote video call sign language interpretation services available, via cellular or computer devices, for services given to deaf persons in the police premises.
- 8.4.14** To guarantee the protection of the life and property of persons with disabilities, with special consideration given to technical aids such as wheelchairs, orthopedic canes, guide canes for blind persons and hearing aids or telephones that facilitate communication for deaf persons and persons with aphasia. Police officers should not remove or confiscate technical aids from the person using them.
- 8.4.15** To recognize that persons with disabilities may be exposed to situations that violate their rights or subject them to abuse, so preferential treatment should always be given, considering their disability.
- 8.4.16** To ensure that the police officers make direct contact with persons with disabilities. This means addressing the person with a disability directly and not the person accompanying them or the interpreter, if any.

- 8.4.17** To ensure and corroborate that the information is delivered in a clear and precise manner by the officer, in an everyday vocabulary and without any technical jargon.
- 8.4.18** Allocate adequate time for interaction between persons with different disabilities and police personnel. Adequate time is defined as the time required or needed by the person with a disability to carry out their procedures before the police.
- 8.4.19** To recognize that persons with disabilities who are assisted by guide dogs, canes, wheelchairs or other technical aids should not be separated from them, either in the vehicle or at the police station.
- 8.4.20** To promote and develop knowledge about the different types of disabilities, in order to provide a high-quality service. It should be kept in mind that disability is an expression of human diversity. Even within the same type of disability, there may be differences between persons.
- 8.4.21** To consider that the restoration of public order also implies that the police institution takes the safeguards to protect the physical and mental integrity of persons with disabilities, who are participating in political and/or social demonstrations, consolidating good practices, such as explaining to the person with disabilities the willingness to accompany him/her to a safe place.
- 8.4.22** To bring the person with a disability who has been arrested or detained, before a judge without delay, so that the judge may decide on the legality of his or her detention.
- 8.4.23** To ensure that persons with disabilities have access to justice on an equal basis with others in order to facilitate their effective role as direct and indirect participants in a process or procedure, including as witnesses.
- 8.4.24** In a situation in which the person with a disability is alleged to have **participated in a crime** as a perpetrator, accomplice or accessory. In such a case, following care should be taken:
- a) To promote due respect for the dignity of all persons with disabilities who are subjected to any form of detention or arrest,

- b) To eliminate any practice that involves the arbitrary detention of persons with disabilities,
- c) To consider that a person's disability should not represent prejudices or stereotypes of criminal responsibility or culpability for police personnel.
- d) To ensure that the detained or arrested deaf person who uses sign language is able to use their hands to communicate. Handcuffing a deaf person in the back takes away their ability to communicate through sign language.

8.4.25 To encourage the use of new information and communication technologies, such as video calls, text messages, interactive chats and websites to make complaints, especially for persons with disabilities who are victims of domestic or gender violence, who will receive the due consideration by police officers to initiate the appropriate procedures.

8.5 Guidelines for registration of complaint, FIRs, recording of statement of persons with disabilities, maintenance of disaggregated data on crime against persons with disabilities & steps to be taken for ensuring safety and security of persons with disabilities. Depending upon the nature of the disability of the person seeking help of the Police, it is required that different standards or methods are followed for registration of their complaint, recording of statement or any other related purpose in compliance to Section 7 and 12 Access to Justice of the RPWD Act, particularly section 12 (4).

8.5.1 Taking Statement of persons with disability in general: If the complainant, informant, witness or accused is a person with disability (deaf or hard of hearing, Blind or person low vision, person with mental illness or intellectual or learning disability), proper time and space is to be provided to the person for complete narration of the complaint, incident or facts. The environment for such person is required to be made

conducive. The person who is recording the complaint/ statement must write down all the statements which the person has narrated and after completion, read it out to him /her. And only upon his /her confirmation, his/her sign/thumb impression is to be obtained. The police official who is taking down the complaint/ statement must have received training on disability sensitization and on counseling techniques to make persons with disabilities comfortable. The statement should be audio video recorded with the consent of the person with disability. Recording may be done with the help of any small device like mobile. In addition to the hard copy of the statement/ complaint, a copy of the audio-video recording to be provided to the person making complaint or giving statement. Where the complaint or Statement is typed in computer, a soft copy of the same in accessible and readable format or a computer printed copy or a braille copy be provided as per the preference/request of the person with disability.

8.5.2 Taking Statement of a Person with Speech or Hearing Disabilities.

In addition to above provisions, help of professional sign language interpreters must be taken for effective communication and statement is to be read over in sign language and ensure that the same has been understood correctly before placing a signature on the statement. Signatures of interpreter, mental health professionals, assisting family members may be also obtained to this effect. Where the deaf person doesn't know Indian sign language, a member of person's family who is acquainted with his specific signs can also be included to make the communication happen.

8.5.3 Taking Statement of a person with mental illness or intellectual disability or learning disability and other disabilities of cognition. If the complainant/witness /accused is a person with mental illness or intellectual disability or learning disability and other disabilities of cognition, in addition to above facilitation, simple and plain language,

augmentative and alternative modes, means, and formats of communication, use of verbal and/or written language with images or pictograms to be used for communicating with person with disabilities. There is a possibility that the person himself/herself is a victim of the incident but unable to understand the same. Therefore, help of mental health professionals, special educators and medical professionals must be taken to help the person to express themselves / communicate freely in variety of ways. It shall also help police personnel to understand their statement in a better manner. The environment for such complainant is required to be made conducive among other things explained above in (a). The RPWD Act requires the govt. to make available all necessary facilities and equipment to facilitate recording of testimonies, arguments or opinion given by persons with disabilities in their preferred language and means of communication.

8.5.4 If the accused or suspect is a person with disability, then all the communications be made to him/her as per his/her accessibility requirements. For example, if the suspected person of accused is deaf or hard of hearing, then help of sign interpreters must be taken during the investigation and trial. The rights available to an accused must be explained to him/her by sign language interpreters.

8.5.5 Police Stations in general to maintain data base of Special Educators/Disability Experts and have provisions of seeking their help:- All police stations should maintain a database of special educators, language interpreters, sign language interpreters, mental health professionals, medical professionals, braille experts, legal aid providers, NGO's working with and for the persons with disabilities etc. in order to facilitate easy access and coordination for assisting persons with disabilities and to ensure accessibility of the police stations and police services by the persons with disabilities.

- 8.5.6 Police Stations shall maintain data on crimes against persons with disabilities** disaggregated by gender, age, place of residence, relationship with perpetrator and type of disability (as per the schedule under the RPWD Act) in cases of violence and exploitation, including gender-based violence against women and girls with disabilities and violence inflicted by intimate partners and be reported to National Crime Records Bureau.
- 8.5.7** Video and Toll-free number shall be made available for easy accessibility of the services of the Police Stations as well as Disaster Mitigation Centres. The facility of video calls must be equipped with the sign interpreters to understand the concerns of deaf or hard of hearing person. Further mental health professional must also be there to understand the concerns of person with mental illness or intellectual disability.
- 8.5.8 Accessible transportation service:** - In case any person is not able to reach Police Station due to their disability then the police personnel must visit the place accessible by the person with disability to address their concerns as well to record the complaint/statement. Further, provisions of special arrangements for accessible transport should be made available. There should be a separate accessible unit of transport service within the police force for the persons with disabilities for smooth travel from police stations, courthouses, offices of public prosecutors, or to service providers whose work is relevant for the administration of justice, such as health care facilities where forensic evidence is gathered. Additionally, existing police vehicles should have reasonable accommodation for persons with disabilities, for example empty space for wheelchair, special seating arrangement with seat belts, wheelchair restraining systems etc.
- 8.5.9** In case of violence against women with disability, if the Police Station is not reachable for the victim, a female police officer should visit the place accessible to women keeping in mind the accessibility requirements of

the victim and making arrangements for the same. Shelters created or given licenses for victims of domestic violence shall ensure accessibility for persons with disabilities complying approved access standards.

- 8.5.10** Persons with disabilities are more susceptible to cyber-crimes especially to cyber-bullying. It is due to inaccessible cyber space and they not being aware that they have been de-frauded or bullied against. Therefore, cyber-crime unit of the Police should be trained and be extra vigilant against such incidents.
- 8.5.11** Children with disabilities are even more susceptible to crime. Therefore, training of officers of child care institutions and police personnel for addressing and handling child victims with disabilities, particularly girl-child is necessary.
- 8.5.12** Persons with disabilities be allowed to be accompanied with their caretaker or any person with whom he/she feels comfortable to the Police Stations.
- 8.5.13 Sensitization training of Police Officials:** - Police officers should be sensitized to the special security/safety needs of persons with disabilities and make it a part of the community policing programs. Police officials should be sensitized to the emotional and psychological needs of the victim with disabilities and especially the manner with regards to working with women and girls with disabilities. The training should cover the full life cycle of a case involving a disabled survivor, from enabling them to register complaints, obtain necessary accommodations, medical attention and suitable legal representation. This training should emphasize the importance of interacting directly with the disabled person concerned, as opposed to their care-taker or helper, in recognition of their agency. It is

important to sensitize every officer—from top to bottom in light of Section 47 (a) of the RPWD Act.

8.5.14 Frequent Sensitization Programs for the General Public/Citizenry should also be organized on the safety and security needs of persons with disabilities and the role of general public in preventing any harassment to persons with disabilities, providing immediate help to any such victim and promptly reporting any incident of crime or atrocity to the police.

8.5.15 Similarly, sensitization programs for persons with disabilities about Police Help Lines, Legal Aid facilities etc. should be organized. Do's and Don'ts for persons with disabilities for their personal security should be issued.

8.5.16 Identification of Persons with disabilities living in the areas of each police station should be carried out by each Police Station level and their security and safety vulnerabilities lies upon the respective Station House Officers. Beat Officers should pay regular visits to the residence of such persons with disabilities in their areas.

8.5.17 District Level Action plans for the safety and security of Persons with Disabilities living in the district should be drawn up by Senor Police Officer in charge of the district.

8.6 General Guidelines for associated services in Prisons

8.6.1 Prisons should have two wheelchairs accessible and have reasonable accommodation for persons with disabilities, for example empty space for wheelchair, seating arrangement with seat belts, restraining mechanisms for wheelchairs etc.

- 8.6.2** Prisons in general should have provisions to seek help of mental health professionals, medical professionals, sign language interpreters, braille or screen reading software etc.
- 8.6.3** If a person acquires any temporary or permanent disablement due to any reason during his sentence term or during custody, such person should be extended the facilities of accessibility and reasonable accommodation meant for persons with disabilities.
- 8.6.4** Prison Officers be given special trainings for addressing the needs of persons with disabilities. If in case the prison inmate has hearing impairment, then there must be some person in the prison staff who can understand sign language. Similarly, for prisoners with physical disabilities, the prison should be wheelchair accessible, including accessible sanitation facilities attached to the detention cells. Recreation spaces, libraries etc. in the prisons should also be made accessible to persons with disabilities. Special accessibility focus must be on the common meeting areas where inmates are allowed to meet their family members and a family member may also be a person with disability.
- 8.6.5** The difficulties faced by persons with disabilities in society are magnified in prisons. Staff and other inmates may have negative attitudes to persons with disabilities, resulting in prejudicial treatment. Hence, should frequently undergo training on disability awareness and the needs and rights of prisoners with disabilities.
- 8.6.6** The Libraries in the Prison should provide materials in accessible formats, including web accessibility for persons with visual impairments. A Special Officer (disability inclusion) may be appointed who would be responsible to oversee the above-mentioned facilities and ensure a positive attitude towards persons with disabilities.

8.6.7 The prison staff should be sensitized to the emotional and the psychological needs of the person with disability and how to work with women and girls with disabilities. It is important to sensitize every officer—from top to bottom.

8.7 General Guideline on Need Assessment, disability awareness and misc. provisions.

8.7.1 Proper need assessment of a prisoner with disability should be conducted and recorded so that his specific accessibility needs can be planned and met or reasonable accommodations be provided to him/her. Any person acquiring disabilities while in prison should also be assessed on receipt of information about such disability – whether temporary or permanent and such assessment reports must form part of record of the prisoner.

8.7.2 Degree of disability whether benchmark or not should not be a ground to deny reasonable accommodation or accessible facilities to person with disabilities at any stage – at the police station or in the prison. This should be based on the requests made by the person at the police station, in prison, it may be based on needs assessment and not on degree of disability or production of disability certificate. Prison authorities may seek assistance of medical and rehabilitation professionals to review the requirements of such person at later stage if they opine so.

8.7.3 During imposition of restrictions under Section 144 of CrPC, such as lockdown imposed during pandemic, special attention must be given to the persons with disability, particularly women with disabilities who may be prone to violence during restricted movement.

8.7.4 Regular sensitization of all Police Stations, Police personnel, prison staff and Disaster Mitigation Centre's staff, armed forces (during disaster,

armed forces play very important role in providing reliefs to the affected persons) with respect to addressing needs of persons with disability on regular basis is a must. Awareness Program and Training sessions be organized on regular basis for making them aware of the needs of persons with disabilities.

9. References

- a) National Building Code of India (2016) by Bureau of Indian Standards
- b) Harmonized Guidelines and Space Standards for Barrier free Built Environment for persons with Disability and Elderly persons (2016) by Ministry of Urban Development
- c) Model Accessible Police Stations (Report and Checklist) by Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (2020)
- d) Revision of Standards for Modern Police Station Buildings (2016) by BPR&D, Ministry of Home Affairs
- e) National Disaster Management Guidelines on Disability Inclusive Disaster risk reduction (2019) by NDMA, Ministry of Home Affairs
- f) Criminal Law Amendment Act, 2013.
- g) The Rights of Persons with Disabilities Act 2016
- h) The Rights of Persons with Disabilities Rules 2017
- i) Inclusive Disaster and Emergency Management For Persons With Disabilities- A review of needs, challenges, effective policies, and practices (<https://cis-india.org/accessibility/blog/emergency-services-report.pdf>)



**सुगम्य भारत अभियान (ए आई सी)
2021 के तहत पुलिस स्टेशनों,
कारागारों एवं आपदा शमन केन्द्रों
के लिए गृह मंत्रालय की
विशिष्ट निर्मित अवसंरचनाओं और
सम्बद्ध सेवाओं हेतु
सुगम्यता संबंधी दिशा-निर्देश**

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ
1	परिचय	1
2	खंड क : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम - अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य और अपराध	6
3	खंड ख : आदर्श सुगम्य निर्मित संरचनाओं की अवधारणा	10
4	खंड ग : निर्मित अवसंरचनाओं (पुलिस भवनों, कारागारों और आपदा शमन केंद्रों) के लिए सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश	12
5	खंड घ : आधुनिक पुलिस थाना भवनों के लिए मानक	22
6	खंड ड. : आधुनिक कारागार/जेल भवनों के लिए मानक	45
7	खंड च : आपदा शमन केंद्रों के लिए मानक	54
8	खंड छ : पुलिस थानों, कारागारों, आदि जैसे निर्मित अवसंरचनाओं से संबद्ध सेवाएं	71
9	संदर्भ	88

1. परिचय

1.1 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) को दिव्यांगजनों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को प्रभावी बनाने और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का अधिनियमन किया गया है। इस अधिनियम में समानता और गैर-भेदभाव पर जोर देते हुए यह प्रावधान किया गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान का अधिकार का उपभोग करे। इस अधिनियम में उपयुक्त वातावरण और उचित आवास प्रदान करके दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग करने के लिए कदम उठाने का भी अधिदेश किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को केवल विकलांगता के आधार पर अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा और दिव्यांगजनों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में समान सुरक्षा और संरक्षा प्राप्त होगी। यह अधिनियम सरकार को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से दिव्यांगजनों की रक्षा के लिए उपाय करने का भी आदेश देता है।

यह अधिनियम न्याय की पहुंच का भी प्रावधान करता है और सरकार को अधिदेशित करता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगजनों के साथ दिव्यांगजन होने की वजह से भेदभाव किए बिना, उन्हें न्यायिक या अर्ध-न्यायिक या जांच शक्तियों से युक्त किसी भी अन्य न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या किसी अन्य निकाय में पहुंच के अधिकार का उपयोग करने में सुगमता हो। इसमें सरकार से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह दिव्यांगजनों, विशेष रूप से परिवार से अलग रहने वाले लोगों तथा जिन्हें अपने कानूनी अधिकार लेने के लिए अधिक सहायता की जरूरत है, उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा,

इसमें सरकार से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह दिव्यांगजनों को अपनी पसंदीदा भाषा और संचार के साधनों में गवाही, तर्क या राय की रिकॉर्डिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराएगी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 47 में पंचायती राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों और वकीलों के प्रशिक्षण के लिए सभी पाठ्यक्रमों, जिनमें दिव्यांगजनों की पहुंच और समावेश से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता की कमी को उजागर किया गया हो, में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर प्रशिक्षण को अनिवार्य करने का अधिदेश दिया गया है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है कि दिव्यांगों को मानवाधिकारों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त हर तरह की मौलिक स्वतंत्रता मिले।

सुगम्यता में रुकावटें ऐसी बाधाएं हैं जिससे दिव्यांगजन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूम सकते हैं और भवनों में नहीं जा सकते हैं। दृश्य और अदृश्य दोनों तरह की कई बाधाएं होती हैं। दिव्यांगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है और बाधाएं उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में समान आधार पर समाज में भाग लेने से रोकती हैं। हाल के वर्षों में, दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दिव्यांग बाकी लोगों की तरह समानता, अधिकारों और गरिमा के मानकों का आनंद लें।

केवल एक ही चीज तक पहुंच सुनिश्चित नहीं करनी होती है इसलिए, अद्योपांत पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिसमें भौतिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करना; संगत सेवाएं जैसे किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत, प्राथमिकी आदि दर्ज करवानी; व्हीलचेयर आदि जैसे चलायमान उपकरणों की व्यवस्था करना,

जहां संभव हो वहां सुलभ परिवहन, उपकरण, उत्पाद और वाहक; सुलभ जानकारी, वेबसाइट और उपयोज्यता, सार्वजनिक दस्तावेज आदि प्रदान करना।

इसलिए, सर्व-सुलभता को एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में स्वीकारा गया है, और इसे सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में प्रयास किए जा रहे हैं। बाधा-मुक्त और सार्वभौमिक डिजाइन सुविधाएं अब सभी डिजाइन अवधारणाओं के लिए मौलिक होते जा रहे हैं।

1.2. सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)

जनता को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं और सेवाओं तक दिव्यांगों को समान पहुंच प्रदान करना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने दिव्यांगों को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 03 दिसम्बर 2015 को एक राष्ट्रव्यापी अभियान सुगम्य भारत अभियान शुरू किया है।

यह अभियान दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के इस सिद्धांत पर आधारित है कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की सीमाओं और अक्षमताओं के कारण नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के तरीके के कारण होती है। लोगों का शारीरिक, सामाजिक, संरचनात्मक और व्यवहार संबंधी बाधाएं दिव्यांगजनों को सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने से रोकती हैं। बाधा मुक्त वातावरण सभी गतिविधियों में समान भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है और एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन शैली को बढ़ावा देता है।

इस अभियान का उद्देश्य एक समावेशी समाज का निर्माण करना है जिसमें दिव्यांगजनों के प्रगति और विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हों ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। सुगम्य भारत अभियान इस दृष्टिकोण को साकार करने हेतु केंद्र सरकार के सभी विभागों/ मंत्रालयों और राज्य सरकारों का सहयोग

चाहता है। इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं: भवनों के वातावरण और परिवहन प्रणाली में पहुंच सकना। समान पहुंच से भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार तक पहुंच में तब्दीली होगी। सार्वभौमिक पहुंच से दिव्यांगजनों को रोजगार प्राप्त करने और भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक और आर्थिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के अवसर बढ़ेंगे।

1.3 इन दिशानिर्देशों के बारे में

ये दिशानिर्देश अध्याय VIII के प्रावधानों और विशेष रूप से - दिव्यांगजनों के अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 के साथ पठित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40, 42, 44, 45 और 46, के अनुपालन को पूरा करने, जो अन्य बातों के साथ साथ सुगम्य भारत अभियान को अधिक प्रभावी बनाने गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस स्टेशनों, कारावासों और आपदा प्रबन्धन केंद्रों में दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट निर्मित अवसंरचनाओं और संबद्ध सेवाओं की सुगम्यता और प्रयोज्यता सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जा रहे हैं। इन दिशानिर्देशों को निम्नलिखित सात खंडों में बांटा गया है:

क. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम - अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य और अपराध

ख. आदर्श सुगम्य निर्मित संरचनाओं की अवधारणा

ग. निर्मित अवसंरचनाओं (पुलिस भवनों, जेलों और आपदा प्रबंधन केंद्रों) के लिए सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश

घ. आधुनिक पुलिस स्टेशन (पीएस) भवनों के लिए मानक

a. नई दिल्ली, कोलकाता आदि जैसे महानगरों में पुलिस थानों के भवनों के खाके।

- b. लखनऊ, इलाहाबाद, मदुरै आदि जैसे प्रमुख शहरों में पुलिस थानों के भवनों के खाके।
- c. नोएडा और गुड़गांव जैसे अर्ध-शहरी इलाकों में पुलिस थानों के भवनों के खाके।
- d. ग्रामीण इलाकों में पुलिस थानों के भवनों के खाके।

ड. आधुनिक कारागारों / जेल भवनों के लिए मानक

च. आपदा शमन केंद्रों के लिए मानक

छ. पुलिस थानों, कारागारों, जैसे निर्मित अवसंरचनाओं से संबद्ध सेवाएं

खंड-क

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम - अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य और अपराध

2.1 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य

कोई भी पुलिस अधिकारी जो दिव्यांग व्यक्ति के प्रति दुर्व्यवहार, हिंसा या शोषण के बारे में शिकायत या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है वह व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित रूप से सूचित करेगा-

क) स्थानीय सीमाओं के साथ कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सुरक्षा के लिए आवेदन करने का उसका अधिकार, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी घटना होती है और सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले कार्यकारी मजिस्ट्रेट का विवरण।

ख) दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे निकटतम संगठन या संस्था के विवरणों के बारे में

ग) निशुल्क विधिक सहायता के अधिकार के संबंध में; और

घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या ऐसे अपराध से निपटने वाली किसी अन्य विधि के अधीन शिकायत फाइल करने के अधिकार के संबंध में।

परन्तु यह कि पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने की सूचना की प्राप्ति पर विधि के अनुसार कार्य करने के कर्तव्य से मुक्त करने के लिए नहीं लगाया जाएगा।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 12 (4) (ग) के लिए यह आवश्यक है कि दिव्यांगजनों द्वारा अपनी पसंदीदा भाषा में दिए गए साक्ष्य, तर्क या राय की रिकॉर्डिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और उपकरण और संचार के साधन पुलिस और न्यायिक अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

2.2 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत अपराध

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में धारा 89 से धारा 95 में उल्लिखित अपराध और दंडों का भी ब्यौरा दिया गया है। मुख्य अपराधों को अधिनियम की धारा 92 में वर्णित किया गया है जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय, गैर-जमानती और त्रिविकल्पीय हैं। इसके अलावा, जब कोई अपराध दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और किसी अन्य अधिनियम के तहत भी दंडनीय होता है, तो दोषी अपराधी उस अधिनियम के तहत दंडनीय होगा जिसमें अधिक सजा का प्रावधान है।

दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा नमूना निर्देश

परिपत्र
(दिल्ली पुलिस द्वारा)

संख्या 04/2009

विषय: दिव्यांगजनों की सुरक्षा के संबंध में

भारत सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और उनकी शारीरिक सुरक्षा और संरक्षा के प्रति चिंतित है। वरिष्ठ नागरिकों के मामलों के समान दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को भी सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। यह कार्य पुलिस मुख्यालय के साथ-साथ जिला स्तर पर मौजूदा प्रकोष्ठों द्वारा बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कुछ उपाय जो पुलिस द्वारा किए जा सकते हैं, वह इस प्रकार हैं:

1. दिव्यांग व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के अलग-अलग आँकड़े बनाए रखना।
2. दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न, धोखे आदि की शिकायतों और उनके विरुद्ध हुए अपराधों के मामलों में शीघ्र कार्रवाई हेतु एक प्रणाली तैयार करें। साथ ही, ऐसे व्यक्तियों की दूरभाष या फैक्स पर भी प्राप्त शिकायत पर FIR दर्ज की जा सकती है।
3. पुलिस के साथ-साथ नागरिकों को इन व्यक्तियों की विशेष सुरक्षा/संरक्षा आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना और इसे सामुदायिक-पुलिस कार्यक्रमों का हिस्सा बनाना।

4. पुलिस हेल्प लाइन, कानूनी सहायता की सुविधाओं आदि के बारे में ऐसे व्यक्तियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।
5. दिव्यांगजनों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए क्या करें और क्या न करें संबंधी जाँच बिंदु जारी करना।
6. प्रत्येक पुलिस थाने के क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधित भेद्यता SHOs पर निर्भर करती है।
7. ऐसे व्यक्तियों के आवासों पर बीट अधिकारियों द्वारा नियमित दौरा करना।
8. इलाके में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित स्थानीय गैर सरकारी संगठनों का चयन करना।
9. ऐसे व्यक्तियों द्वारा मामलों/शिकायतों की जांच की प्रगति के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करना।
10. दिव्यांगजनों की सुरक्षा आवश्यकताओं और ऐसे व्यक्तियों के किसी भी उत्पीड़न को रोकने के बारे में आम जनता को संवेदनशील बनाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, ऐसे किसी भी पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करना और पुलिस को अपराध या अत्याचार की किसी भी घटना की तुरंत सूचना देना।

सभी जिले के DCsP को दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी जाती है। PCR में टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 1091 और 1291, जो पहले से ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं उनका उपयोग दिव्यांगजनों के मामले में भी किया जा सकता है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त / रेंज एक सप्ताह में पुलिस मुख्यालय को दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे।

हस्ताक्षर

(केवल सिंह)

अपर पुलिस आयुक्त,
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली।

संख्या 101-200/रिकॉर्ड शाखा/ पीएचक्यू दिनांक 06/01/2009

प्रति: -

1. सभी विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
2. सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. एफआरआरओ, दिल्ली सहित सभी जिलों / इकाइयों के पुलिस उपायुक्त।
4. सीपी के एसओ और सीपी के एलए, दिल्ली।
5. एसीपी/आईटी सेंटर (पुलिस मुख्यालय), दिल्ली सहित सभी सहायक पुलिस आयुक्त/ पुलिस मुख्यालय।
6. रीडर टू सीपी, दिल्ली सहित पुलिस मुख्यालय में सभी निरीक्षक।
7. केंद्रीय पुस्तकालय, पीएचक्यू, दिल्ली।
8. एचएआर/पीएचक्यू 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित

खंड-ख

3. आदर्श सुगम्य भवन अवसंरचनाओं की अवधारणा

3.1 स्मार्ट और सुगम्य पुलिस भवन

पुलिस आमतौर पर सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखने, कानून व्यवस्था लागू करने और आपराधिक गतिविधियां रोकने, उनका पता लगाने और जांच करने के लिए जिम्मेदार होती है। इन कार्यों को पुलिसिंग के रूप में जाना जाता है। पुलिस को अक्सर विभिन्न लाइसेंस और नियामक भी सौंपी जाती हैं।

यदि पुलिस स्टेशनों और पुलिस स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को सुगम्य बनाया जाता है, तो यह आम जनता और विशेष रूप से दिव्यांगजनों में विश्वास जगाएगा। इससे पुलिस स्मार्ट बनेगी और लोगों के अनुकूल बनने का रास्ता तय होगा।

आदर्श सुगम्य पुलिस भवन या जेल सभी लोगों- कर्मचारियों, आगंतुकों, शिकायतकर्ताओं, आरोपियों, आम जनता, आगंतुकों, विक्रेताओं, विचाराधीन कैदियों आदि को उम्र या दिव्यांगता के कारण सहारे की जरूरत और कमी होते हुए भी बिना किसी बाधा के दूसरों के साथ आराम से आना-जाना सुनिश्चित करते हैं। अलग-अलग तरह के लोग वहां उपलब्ध सुविधाओं जैसे स्वागत कक्ष, शौचालय, पानी पीने आराम से जा सकते हैं और कार्यालय के कमरों, वरिष्ठ अधिकारियों के कमरों और कैंटीन, एटीएम, आम बैठने के क्षेत्र, मनोरंजक स्थानों और यहां तक कि उस विशेष स्थान पर उपलब्ध किसी भी खेल या खेल सुविधा जैसी अन्य सुविधाओं तक निर्बाध रूप से पहुंच सकते हैं।

इसी तरह, सभी संबद्ध सेवाओं का प्रयोग करना, प्रौद्योगिकी, वेबसाइटें, उपयोग किए जाने वाले आवेदन डेटा में फीडिंग करना, आवेदन करना, दस्तावेज प्रस्तुत करना, सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान करना आदि आसान होता है। सुगम्य आपदा प्रबंधन केंद्र यह सुनिश्चित करता है कि वह सभी उम्र और क्षमताओं वाले लोगों के लिए है और दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को इन स्थानों में आपदाओं के समय में खाली कराते हुए कोई बुनियादी

ढांयागत बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है और इन स्थानों पर रहते हुए गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं।

खंड-ग

4. निर्मित संरचनाओं (पुलिस भवनों, कारागारों और आपदा शमन केंद्रों) के लिए सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश

नोट: किसी निर्मित वातावरण में निम्नलिखित विशेषताएं बाहरी और आंतरिक ढांचों में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अनुमोदित मानकों और दिशानिर्देशों जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता और दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जारी किए गए सुसंगत दिशानिर्देशों को अनिवार्य अनुपालन के लिए विस्तृत विनिर्देशों का संदर्भ लिया जाना चाहिए।

4.1 बाहरी वातावरण के लिए:

i. सुगम्य मार्ग और रास्ते और रैंप

- भवन से सभी प्रमुख प्रवेश और निकास द्वारों को जोड़ने वाले और टैक्सी स्टैंड और कार पार्किंग स्थलों से बोर्डिंग पॉइंट से तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करना।
- परिसर के भीतर मार्गों की एक तरफ से आने-जाने की चौड़ाई न्यूनतम 900 मिमी और दिव्यांगजनों के लिए के दो-तरफा आने-जाने के लिए 1,800 मिमी होनी चाहिए।
- दिव्यांगजनों के सहायता के लिए स्पर्श फर्श के साथ रास्तों में फिसलन रहित सतहें।
- परिसर के अंदर रैंप की ढलान अनुमोदित मानकों के अनुसार (रैंप से तय की जाने वाली दूरी ऊर्ध्वाधर वृद्धि 1: 20 से 1: 12 के आधार पर) हाथ से चलायी जाने वाली व्हीलचेयर स्वतंत्र रूप से उपयोग करके चलाने के काबिल होनी चाहिए। जहां उंचाई दो सीढ़ियों से अधिक है, वहां एक वैकल्पिक सीढ़ी की भी आवश्यकता होती है। रैंप और सीढ़ियों के दोनों तरफ दोहरी उंचाई वाली रेलिंग एम्बुलेटरी और गैर-एम्बुलेटरी दिव्यांगजनों और छोटे कद वाले लोगों के लिए मौजूद होनी चाहिए।

- व्हीलचेयर और अन्य चलाने वाले उपकरणों के आसानी से मोड़ने के लिए पर्याप्त स्थान मौजूद होना चाहिए।
- दरवाजों में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए किक-प्लेटें होनी चाहिए और समुचित ऊंचाई पर लीवर प्रकार के हैंडल होने चाहिए। दरवाजों को बाधा मुक्त रूप में आसानी से खोलने के लिए दरवाजे की कुंडी के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए।

ii. उतरना - पार्किंगस्थलों में छोड़ने और लेने के क्षेत्र

- प्रवेश-द्वार से सटे हुए अस्थाई पार्किंग स्थल के रूप में छोड़ने और लेने के क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और वहां पर दोनों खड़े और सीधे तरीके से साइनपोस्ट अनुमोदित मानकों के अनुसार होने चाहिए।
- पुलिस भवनों में प्रवेश बाधा-मुक्त सुगम होना चाहिए ताकि पार्किंग में छोड़ने के बाद आसानी से प्रवेश किया जा सके।
- कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए इमारत के मुख्य द्वार से और पार्किंग में छोड़ने वाले स्थान से स्वागत कक्ष तक स्पर्श अभिविन्यास होने चाहिए।
- दिव्यांगजनों की सहायता के लिए स्पर्श फर्स के साथ फिसलनरोधी पार्किंग सतह होनी चाहिए।

iii. सुगम्य पार्किंग

- सुगम्य पार्किंग के लिए प्रवेश द्वार से दोनों दिशात्मक और सूचनात्मक प्रदान किए जाने चाहिए।
- प्रवेश द्वार से पार्किंग की दूरी इमारत के प्रवेश द्वार से 30 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- वाहनों के लिए पार्किंग खंड आकार 5,000 मिमी X 3,600 मिमी होना चाहिए। फर्श पर पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा (दाहिनी ओर व्हीलचेयर साइन) और 2100 मिमी उंचाई पर खड़ा संकेत भी दिया जाना चाहिए।
- पार्किंग में दिव्यांगों के लिए कम से कम एक पार्किंग खंड आरक्षित किया जाना चाहिए जहां कोई विशिष्ट पार्किंग स्थल प्रदान नहीं किया जाता है। 25 कार पार्किंग के प्रत्येक स्थल में दो सुगम्य पार्किंग स्थल प्रदान किए जाने चाहिए।
 - दिव्यांगजनों की सहायता के लिए स्पर्श फर्श के साथ फिसलनरोधी पार्किंग सतह होनी चाहिए।
 - यदि एक दूसरे से सटी दो सुगम्य पार्किंग खंड हैं, तो दो पार्किंग खंडों के बीच 1,200 मिमी साइड ट्रांसफर पार्किंग खंड को साझा किया जा सकता है।

4.2 आंतरिक वातावरण के लिए:

i. इमारत के लिए प्रवेश द्वार

- बरीयत: 1,000 मिमी चौड़ा प्रवेश द्वार
- कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए प्रवेश द्वार पर ब्रेल और ऑडियो सिस्टम (बीपर) के साथ स्पर्श फर्श प्रदान किया जाना चाहिए।

ii. गलियारे

- गलियारे की चैड़ाई 1200 मिमी (एक तरफ से जाने के लिए) से लेकर (व्हीलचेयर के दोनों ओर आने-जाने के लिए) 1800 मिमी तक पर्याप्त होनी चाहिए।
- दिव्यांगजनों की सहायता के लिए सादी स्पर्श फर्श के साथ फिसलन रोधी सतह वाले रास्ते होने चाहिए।
- कम से कम 150 एल्यूएस के प्रकाश स्तर से फैली रोशनी के साथ अच्छी तरह प्रकाशित गलियारे होने चाहिए।

- गलियारों में दिव्यांगों की आवाजाही में कुर्सियों, गमलों, जुड़नारों आदि के कारण बाधा नहीं पड़नी चाहिए।
- प्रयोग करने योग्य स्थानों में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए स्लाइडिंग खिड़कियां मार्ग क्षेत्रों की ओर प्रदान की जा सकती हैं।

III. स्वागत कक्ष/ "क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ?" काउंटर और लॉबी क्षेत्र

- अच्छे रंगों के मेल में साइनपोस्ट हो।
- काउंटर की ऊंचाई न्यूनतम 750 मिमी और अधिकतम 800 मिमी होनी चाहिए।
- काउंटर के नीचे हवीलचेयर लाने के लिए पैर रखने की जगह (गहराई) 480 मिमी होनी चाहिए।
- काउंटर के नीचे घुटने की जगह (ऊंचाई) 680मिमी-700मिमी होनी चाहिए।
- श्रवण उपकरण के प्रयोक्ताओं के लिए स्वागत कार्यालय में ध्वनि-वृद्धि इडस्शन लूप लगाया जाना चाहिए।
- शौचालय, पीने के पानी आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए लॉबी क्षेत्र में दिशात्मक संकेत दिए जाने चाहिए।
- प्रतीक्षा कक्ष में कम से कम 900 मिमी से लेकर 1,200 मिमी तक का स्थान बैठने की जगह दिव्यांग के लिए प्रदान की जानी चाहिए, जिसे चिह्नित किया जाना चाहिए।
- दिव्यांगों के आने जाने के लिए कम से कम 900 मि मी से लेकर अधिकतम 1200 मिमी तक चौड़ा रास्ता (रीच जोन) रखा जाना चाहिए।
- दिव्यांगों की आवाजाही में कुर्सियों, गमलों, जुड़नारों आदि के कारण बाधा नहीं पड़नी चाहिए।
- पुलिस स्टेशनों, कारावासों और आपदा प्रबंधन केंद्रों के प्रवेश द्वार और स्वागत कक्ष के पास रैंप, सुलभ वॉशरूम और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दर्शाने वाला दिव्यांगों के अनुकूल स्पष्ट स्पर्श स्थल मानचित्र लगा होना चाहिए।

iv. रेलिंग

- 38-45 मिमी व्यास का रेलिंग का वृत्ताकार खंड प्रदान किया जाना चाहिए।
- दीवारों से कम से कम 50 मिमी की खाली जगह रखी जानी चाहिए।
- फिसलन रोधी और परावर्तक रोधी सतह प्रदान की जानी चाहिए।
- दिव्यांगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रैंप / सीढ़ी के आगे 300 मिमी तक फैली हुई रैंप और सीढ़ियों के दोनों ओर रेलिंग प्रदान की जानी चाहिए ।

v. स्वचालित सीढ़ियां और लिफ्ट

- यदि इमारत भूतल से आगे बनाई गई है तो परिसर में लिफ्ट उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- आंतरिक लिफ्ट कार का आकार 1,500 मिमी X 1,500 मिमी का होना चाहिए जिसमें कम से कम 13 यात्री आ सकें।
- लिफ्ट के भीतर प्रवेश द्वार की ओर छोड़कर तीन तरफ पकड़ने के लिए डंडे प्रदान किए जाने चाहिए।
- लिफ्ट के भीतर 800 मिमी की न्यूनतम ऊंचाई और 1,000 मिमी की अधिकतम ऊंचाई के साथ नियंत्रण पैनल प्रदान किया जाने चाहिए।
- लिफ्ट ब्रेल और श्रवण सूचना प्रणालियों के साथ सुसज्जित होनी चाहिए।
- लिफ्ट की लॉबी में लिफ्ट में जाने के लिए पहचान संकेत होने चाहिए।

vi. शौचालय

- सुलभ शौचालय का मानक आकार डब्ल्यूसी को केंद्र या कोने के स्थान के आधार पर अलग अलग होता है। भूतल पर डब्ल्यूसी के मध्य में एक बड़ा शौचालय प्रदान किया जाना चाहिए और भवन में अतिरिक्त सुलभ शौचालय डब्ल्यूसी का किनारे पर लगाकर बनाया जा सकता है।

- प्रवेश दरवाजे की न्यूनतम स्पष्ट चौड़ाई 900 मिमी होने चाहिए।
- प्रवेश द्वार या तो बाहर की ओर या दोनों तरफ से खुलना चाहिए।
- डब्ल्यूसी के दोनों किनारों पर पकड़ने के लिए डंडे लगे होने चाहिए।
- शौचालय में फिसलन-रोधी सतह होनी चाहिए।
- आपातकालीन बटन, कुंडियां, और आसानी से संचालित करने के लिए हैंडल प्रदान किए जाने चाहिए।
- डब्ल्यूसी की ऊंचाई 450 मिमी से 480 मिमी तक होनी चाहिए।
- चलने फिरने में अक्षम व्यक्तियों और व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ शौचालय बनाया जाना चाहिए।
- शौचालय के भीतर नल या वाशबेसिन अधिकतम 800 मिमी की ऊंचाई पर होना चाहिए और लीवर के प्रकार का होना चाहिए।
- सुगम्य शौचालयों की पहचान के लिए पुलिस स्टेशन में प्रमुख स्थानों पर संकेत दिए जाने चाहिए।
- जहां इमारत में भूतल के अलावा अन्य मंजिलें हैं, वहां प्रत्येक मंजिल पर सुलभ शौचालय होना चाहिए।
- जहां भूतल में मध्य से शौचालय की सीटें लगाई गई हैं, वहां अन्य मंजिलों पर दाएं और बाएं कोनों की तरफ डब्ल्यूसी के साथ सुलभ शौचालय बनाया जा सकता है, जो एक छोड़कर दूसरे पर उचित साइनेज के साथ बनाए जा सकते हैं।

vii. सीढ़ियां

- कम से कम 1,200 मिमी चौड़ाई वाली सीढ़ी लगाई जानी चाहिए।
- सीढ़ियों का मानक के अनुसार कम से कम 300 मिमी लंबी और अधिकतम 150 मिमी ऊंची होनी चाहिए।
- 6-8 सीढ़ियों के बाद उतरने का प्रावधान होना चाहिए।

- दुगुनी ऊंचाई वाली रेलिंग होनी चाहिए जिसमें नीचे की रेलिंग का शीर्ष 700 मिमी और ऊपरी रेलिंग का शीर्ष 900 मिमी होनी चाहिए। दोनों स्तर पर रेलिंग बिना किसी अवरोध के पूरी होनी चाहिए।
- दिव्यांगों की सहायता के लिए फिसलन रोधी फर्श सामग्री युक्त स्पर्श वाली होनी चाहिए।
- किनारों पर इस तरह रंग लगाया जाना चाहिए ताकि वे बेहतर रूप से दिखाई दे।

viii. दरवाजे

- कमरे के दरवाजे मार्गों या परिसंचरण मार्गों / गलियारों पर नहीं खुलना चाहिए, जो उनकी आवश्यक प्रभावी स्पष्ट चौड़ाई को कम करते हैं, और दरवाजा खोलने के क्षेत्र में कम से कम 900 मिमी खाली स्थान छोड़ दिया जाना चाहिए।
- दरवाजों की चौड़ाई 900 मिमी से 1,200 मिमी के बीच होनी चाहिए।
- दरवाजे के हैंडल 1,000 मिमी से अधिक ऊंचाई पर नहीं होने चाहिए और लीवर के प्रकार का होना चाहिए।
- दरवाजों के दोनों किनारों पर 300 मिमी से 400 मिमी चौड़ाई की किक प्लेटें होनी चाहिए।
- व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को हैंडल तक पहुंचने को आसान बनाने के लिए दरवाजे के मुख्य किनारे से 650 मिमी की दूरी रखी जानी चाहिए।
- दोनों तरफ खुलने वाले या सामान्य रूप से खुलने वाले दरवाजों में 800 मिमी से 1,600 मिमी तक की ऊंचाई पर देखने के पैनल दिए जाने चाहिए।

- शीशे के प्रवेश द्वार के कांच पर दो जगहों पर देखने के लिए होना चाहिए अर्थात एक 800 मिमी से 1,000 मिमी के बीच और दूसरा फर्श के ऊपर 1,400 मिमी से 1,600 मिमी के बीच ।

ix. पेय जल

- कम ऊंचाई वाला जल काउंटर जिसकी ऊंचाई 750 मिमी से 800 मिमी ऊंचाई तक हो।
- बेसिन के नीचे हवीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए पैर रखने के लिए 300 से 450 मिमी तक का स्थान रखा जाना चाहिए।
- इस सुविधा को शेड पर रखा जाना चाहिए। यदि इसे एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाना जाता है तो इस तक पहुंचने के लिए रैंप की जरूरत होगी।
- दिव्यांगों के आवागमन को नाली और सुराख बाधित नहीं करना चाहिए।
- पुलिस स्टेशन में प्रमुख स्थानों पर सुलभ पेयजल सुविधा के लिए संकेत दिया चाहिए।

x. नियंत्रण और संचालन तंत्र

- सार्वजनिक प्रयोग के लिए बने भवन में नियंत्रण और संचालन तंत्र अनुमोदित मानकों के अनुसार पहुंच योग्य ऊंचाई पर होना चाहिए। वहीलचेयर उपयोक्ताओं के मामले में, नियंत्रण किसी कमरे के कोनों से 400 मिमी से कम नहीं होना चाहिए।

xi. संकेत

- गहरे रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- दिखाई देने वाले अक्षरों का आकार देखने की दूरी पर निर्भर करता है, जिसकी दूरी 2 मी. से 50 मी. तक हो सकती है। अक्षरों का आकार 6 मिमी से 150 मिमी तक हो सकती है।
- संकेतों की अधिकतम ऊंचाई 750 मिमी होनी चाहिए।
- संकेतों को प्रमुख और दृष्टगोचर स्थानों पर लगाए जाने चाहिए।

xii. आपातकालीन निकासी

- परिसर के भीतर आपातकालीन निकासी का प्रावधान होना चाहिए।
- आपातकालीन मार्ग के साथ ही दृष्टि विहीन व्यक्ति की सहायता के लिए स्पर्श वाला फर्श होना चाहिए।
- निकासी मार्ग और सीढ़ियों को कम से कम 1500 मिमी चौड़ाई के साथ होना चाहिए।

xiii. 'क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ?' सुविधा

- प्रत्येक पुलिस स्टेशन में दिव्यांगों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।
- सभी प्रवेश द्वारों पर बीपर लगाए जाने चाहिए ताकि दृष्टिहीन व्यक्ति को पता रहे कि वे कहां पर हैं।
- प्रवेश द्वार पर सुविधा बूथ बनाया जाना चाहिए।
- बूथ पर कम से कम एक प्रथम उपचार किट होनी चाहिए, निकासी कुर्सी, स्ट्रेचर और एक हवीलचेयर होनी चाहिए।

xiv. कैन्टीन/कैफेटेरिया

- प्रत्येक पुलिस स्टेशन में पूर्ण रूप से कार्यरत कैन्टीन या कैफेटेरिया होना चाहिए जिसमें सुगम्य फर्नीचर होना चाहिए।
- सुगम्य कैन्टीन में भोजन की खाने इतनी ऊंचाई पर होने चाहिए, जिन तक दिव्यांग आसानी से पहुंच सकें।
- आने-जाने के लिए किनारों पर कम से कम 900 मिमी का स्थान छोड़ा जाना चाहिए।
- मेजें ऐसी होनी चाहिए जिन पर हवीलचेयर प्रयोक्ता के घुटने न टकराएं।
- इन सभी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होनी चाहिए या इन तक पहुंचने के लिए रैंप होना चाहिए।

xv. स्वचालित नकदी मशीन (एटीएम)

- एक सुलभ एटीएम की व्यवस्था भी की जानी चाहिए जो समतल में हो, रैंप और हैंडरेल वाली सीढ़ी के साथ समतल जमीन पर हो। जहां समतल फर्श न हो, वहां हवीलचेयर वाले लोगों के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए और दृष्टिहीन व्यक्तियों की सहायता के लिए एटीएम में ब्रेल और श्रव्य व्यवस्था होनी चाहिए।

खंड-घ

5. आधुनिक पुलिस स्टेशन भवनों के लिए मानक

5.1 संशोधित मानदंड और भवन डिजाइन निम्नलिखित मुद्दों का निराकरण करते हैं:

- a) पुलिस थाना भवनों की छह श्रेणियों को घटाकर आधुनिक पुलिस थाना भवन की चार श्रेणियों में कर दिया गया।
- b) छोटे पुलिस थाना की भवनों में अधिक स्थान और सुविधाओं का अधिकतम उपयोग।
- c) भविष्य में विस्तार की गुंजाइश।
- d) महिला कर्मियों/ पुलिस के लिए बुनियादी सुविधाएं।
- e) सामुदायिक पुलिसिंग स्थान का प्रावधान।
- f) सीसीटीएनएस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम) की व्यवस्था।
- g) मशीन रूम / आधुनिक गैजेट रूम / एमटी रूम की व्यवस्था।
- h) संदिग्ध अपराधियों / गवाह परीक्षा कक्ष की व्यवस्था।
- i) प्रचालन नियंत्रण कक्ष और पुलिस नियंत्रण कक्ष का प्रावधान।
- j) पुलिस स्टेशन में रसोई और पर्याप्त बैंक स्थान के साथ भोजन कक्ष की व्यवस्था।
- k) सुरक्षा जोखिमों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था।
- l) पुलिस भवनों में अभिगम्यता और विकलांगों के अनुकूल सुविधाएँ।

5.2 संशोधित मानदंडों के तहत, पुलिस स्टेशन भवनों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- i) नई दिल्ली, कोलकाता आदि जैसे महानगरों में आधुनिक पुलिस स्टेशन भवन।
- ii) लखनऊ, इलाहाबाद, आदि जैसे प्रमुख शहरों में आधुनिक पुलिस स्टेशन भवन।
- iii) नोएडा और गुडगांव की तरह अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आधुनिक पुलिस स्टेशन भवन।
- iv) ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक पुलिस स्टेशन भवन।

प्लिन्य क्षेत्र का मानदंड

आधुनिक पुलिस स्टेशन	प्लिन्य क्षेत्र	पुलिस कार्मिकों की संख्या	आराम-गृह + बैरकों की क्षमता (महिला & पुरुष स्टाफ)
मेट्रो शहर	3300	250 तक	$15+(7+120) = 142$
बड़े शहर	2800	200 तक	$11+(7+106) = 124$
अर्ध शहरी	2075	150 तक	$10+(7+76) = 93$
शहरी	1300	100 तक	$8+(शून्य+28) = 36$

5.3 संशोधित मानदंडों के तहत आधुनिक पुलिस थाना भवनों में सामान्य सुविधाएं:

पुलिस स्टेशनों के वर्तमान कार्यात्मक क्षेत्र और सौंपे गए कार्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक पुलिस थाना भवनों के संशोधित डाइंग की सभी श्रेणियों में निम्नलिखित सामान्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं: -

- a) दिव्यांग अनुकूल प्रवेश: दिव्यांग कर्मियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस स्टेशन भवनों के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर कम ढाल वाला रैलिंगयुक्त रैंप ।

- b) स्वागत काउंटर के साथ स्वागत-कक्ष क्षेत्र: आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा करने के लिए, आगंतुकों की तस्वीरें लेने के लिए सुविधायुक्त (आगंतुक के विवरण दर्ज करने के लिए कंप्यूटर/कैमरा) आगंतुक कार्ड जारी करना, आगंतुकों को आवश्यकता के अनुसार संबंधित से मिलने के लिए निर्देश देने हेतु इस काउंटर पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच को छोड़कर हर समय पुरुष पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मी होने चाहिए, जब महिलाओं को हटाया जाता है तो पुरुष कर्मचारी काउंटर का संचालन कर सकते हैं। प्रत्येक पुलिस थाने में स्वागत कक्ष के निकट एक प्रतीक्षा कक्ष होना चाहिए जहां आगंतुक आराम से बैठ कर प्रतीक्षा कर सकें।
- c) आगंतुक और दिव्यांगानुकूल शौचालय: स्वागत काउंटर के पास पुरुष, महिला और दिव्यंग आगंतुकों के लिए एक अलग शौचालय होना चाहिए।
- d) महिला सहायता डेस्क: महिला आगंतुकों की शिकायतों को सुनने स्वागत कक्ष के पास प्रवेश द्वार पर महिला सहायता डेस्क होना चाहिए।
- e) थानेदार का कक्ष : पुलिस स्टेशन भवन के समग्र नियंत्रण और नियंत्रण के लिए भूतल पर स्वागत के पास एक बड़ा थानेदार का कक्ष होना चाहिए। महानगर के पुलिस थाने में 25-30 व्यक्तियों, बड़े शहर में 20-25 व्यक्तियों, अर्ध-शहरी क्षेत्र में 15-20 व्यक्तियों और ग्रामीण क्षेत्र में 10-15 व्यक्तियों के लिए थानेदार का कक्ष होना चाहिए।
- f) विश्राम कक्ष और प्रसाधन कक्ष : लंबे समय तक ड्यूटी का समय होने के कारण थानेदार के कार्यालय और निरीक्षण कार्यालय के साथ एक व्यक्तिगत विश्राम कक्ष होना चाहिए। 2 उप-निरीक्षकों के लिए एक सामान्य विश्राम गृह होना चाहिए। प्रत्येक स्नान गृह के साथ एक शौचालय होना चाहिए।
- g) पुलिस स्टेशन में अधिकारियों के लिए कमरा: प्रत्येक निरीक्षक को एक व्यक्तिगत कमरा प्रदान किया जाता है। एक कमरे में 2 उप-निरीक्षक और एक कमरे में 4 सहायक

उपनिरीक्षक /हेड कॉन्स्टेबल होंगे। प्रत्येक एसआई/हेड कॉन्स्टेबल के पास 2 आगंतुकों को समायोजित करने के लिए कार्य स्थान और स्थान होगा। कॉन्स्टेबलों के लिए भी एक बड़ा कमरा उपलब्ध कराया गया है।

- h) महिला कक्ष: ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस अधिकारी के लिए एक अलग कार्यालय कक्ष जिसके साथ एक शौचालय होगा।
- i) सामुदायिक पुलिसिंग कक्ष: सामुदायिक पुलिसिंग के लिए एक बड़ा कमरा जहां स्थानीय समुदाय के लोग आ सकते हैं और पुलिस कर्मियों की मदद से अपने मामलों को सुलझा सकते हैं।
- j) मालखाना: आधुनिक भंडारण प्रणाली के साथ मुकदमें में जब्त संपत्ति और सरकारी संपत्ति के लिए एक मालखाना (जैसा कि सीबीआई, एनआईए और कुछ राज्य पुलिस के पुलिस स्टेशनों में लागू किया गया है) होना चाहिए। मालखाना के बगल में मालखाना अधिकारी के लिए कार्य केंद्र होना चाहिए। जब्त विस्फोटक को मालखाना में नहीं रखा जाएगा। उन्हें थाने से दूर तहखानों में रखा जाएगा।
- k) शस्त्रागार/कोटे (बारूदखाना): पुलिस को जारी किए गए हथियारों और गोला-बारूद के सुरक्षित रखरखाव के लिए शस्त्रागार होना चाहिए। इसका निर्माण विशेष रूप से दीवारों को अधिक मजबूती प्रदान करते हुए किया जाएगा। शस्त्रागार के साथ थोड़ा और स्थान दिया जाता है, जहां हथियारों की सफाई हो सकती है।
- l) संदिग्ध/गवाह परीक्षा कक्ष: गवाह परीक्षा के लिए एक कमरा उपलब्ध कराया जाता है, जहां पुलिस थानों में आने वाले गवाहों से पूछताछ की जा सकती है। इसका उपयोग शिकायतकर्ता से बात करने के लिए भी किया जा सकता है। महिला गवाहों के लिए एक अलग कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसका उपयोग यौन उत्पीड़न पीड़ितों की जांच के लिए भी किया जा सकता है।

- m) सम्मेलन / ब्रीफिंग कक्ष: प्रत्येक पुलिस स्टेशन भवन में सम्मेलन / ब्रीफिंग कक्ष होगा जहां महत्वपूर्ण बैठकों / कार्यों पर चर्चा की जा सकती है। इसमें टीवी, मैप्स/डिजिटल मैप्स, प्रोजेक्शन सिस्टम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी नवीनतम सुविधाएं होंगी।
- n) लॉकअप: प्रत्येक पुलिस स्टेशन में पुरुषों और महिलाओं के लिए एनएचआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार अलग-अलग लॉकअप होंगे। लॉकअप में कम ऊंची दीवारों वाला एक आंतरिक शौचालय बनाया जाएगा। दिव्यांग विशेष रूप से व्हीलचेयर प्रयोक्ताओं के लिए सुगम्य लॉकअप में डब्ल्यूसी के साथ एक बड़ा शौचालय होना चाहिए। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी एक अलग लॉकअप की आवश्यकता हो सकती है। दीवार के किनारों को गोल किया जाना चाहिए और लॉकअप में कोई नुकीली चीज नहीं होनी चाहिए ताकि लॉकअप में व्यक्ति खुद को नुकसान न पहुंचा सके। सभी लॉकअप की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जानी चाहिए जो 24x7 दिनों चालू होने चाहिए जैसा कि कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों के पुलिस स्टेशनों में किया जा रहा है।
- o) वायरलेस और संचार कक्ष: वायरलेस और संचार उपकरणों के लिए एक अलग कमरा होता है। यह कमरा दूरसंचार उपकरण (जलवायु की जरूरतों के अनुसार) की सुरक्षा के लिए वातानुकूलित होगा।
- p) सीसीटीएनएस टर्मिनलों के लिए कमरा: सीसीटीएनएस (अपराध और आपराधिक ट्रेकिंग नेटवर्क और सिस्टम) टर्मिनलों के लिए एक अलग वातानुकूलित कमरा होना चाहिए।
- q) अभिलेख कक्ष: पुराने अभिलेखों को सुरक्षित और उचित रूप से रखनेसके लिए पर्याप्त खानों के साथ एक बड़ा अभिलेख कक्ष होना चाहिए।
- r) भण्डार गृह: लेखन सामग्री आदि के भंडारण के लिए पर्याप्त खानों वाला एक भण्डार गृह होना चाहिए।

- s) बैरक: पुलिस स्टेशन भवन की ऊपरी मंजिल पर सहायक उपनिरीक्षकों / हेड कांस्टेबलों और कांस्टेबल के लिए अलग-अलग बैरक उपलब्ध कराए गए हैं, जहां अधिकारी काम के घंटों के बाद आराम कर सकते हैं। इन बैरकों में शौचालय, मूत्रालय और स्नान क्षेत्र के साथ पर्याप्त संख्या में शौचालय मौजूद होते हैं।
- t) महिला अधिकारियों के लिए बैरक: महिला पुलिस कर्मियों के लिए एक अलग बैरक होनी चाहिए जो पुरुषों के लिए निर्धारित बैरकों से समुचित दूरी पर स्थित हो।
- u) मनोरंजन कक्ष और जिम: पुलिस कर्मियों की फिटनेस के लिए जिम उपकरणों वाला एक बड़ा कमरा उपलब्ध कराया गया है। बैरकों में रहने वाले पुलिस कर्मियों के मनोरंजक गतिविधियों के लिए एक अलग मनोरंजन/टीवी कक्ष भी उपलब्ध कराया गया है।
- v) संक्रमण कक्ष/पूछताछ कक्ष: थानेदार के कक्ष के बगल में एक अलग पूछताछ कक्ष उपलब्ध कराया गया है।
- w) पाठक कक्ष: कार्यात्मक सुविधा के लिए थानेदार के कक्ष के बगल में पाठक/निजी सहायक के लिए एक कमरा दिया गया है।
- x) परामर्श कक्ष: शिकायतकर्ता/आगंतुक को छोटी-छोटी बातों पर पुलिस अधिकारी द्वारा परामर्श देने के लिए परामर्श कक्ष प्रदान किया गया है।
- y) कार्य अधिकारी: चौबीसों घंटे ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के लिए कार्य अधिकारी को अटैच्ड टॉयलेट के साथ एक कमरा उपलब्ध कराया जाता है।
- z) कैंटीन+रसोई: बैरक में रहने वाले पुलिस कर्मियों और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए आधुनिक उपकरणों से युक्त एक किचन और आधुनिक फर्नीचर के साथ कैफेटेरिया की व्यवस्था की गई है।

5.4 राज्य में पुलिस थाना भवनों में एकरूपता लाने के साथ-साथ पुलिस थानों की विशिष्ट पहचान के लिए संशोधित मानदंडों के अनुसार वास्तुशिल्पी आरेख तैयार किए गए हैं। पूरे राज्य में पुलिस थाना के भवनों की बाहरी सतह पर एक समान रंग कोड अपनाने से आम आदमी के लिए अन्य भवनों के बीच पुलिस स्टेशन को आसानी से पहचानना आसान हो जाएगा। इन संशोधित मानदंडों के अनुसार निर्मित आधुनिक पुलिस स्टेशन सहायक होंगे और स्मार्ट पुलिसिंग अवधारणा के अनुरूप होंगे, जिसे हाल ही में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। इन थानों को जेंडर सेंसिटिव, आधुनिक, स्मार्ट और टेक्नो सेवी बनाने का प्रयास किया गया है।

प्लिंथ एरिया के मामले में आधुनिक पुलिस स्टेशन में भवनों की श्रेणी/आकार, मंजिलों की संख्या और परिमाण राज्य की व्यक्तिगत आवश्यकता, भूमि की उपलब्धता (पहाड़ी क्षेत्र या समतल क्षेत्र), प्रचलित भवन उपनियमों और उपलब्ध निधियों/संसाधनों के अनुसार होगी।

यह सलाह दी जाती है कि पुलिस स्टेशन भवनों में प्रयोग करने योग्य स्थानों को अपराध से संबंधित और गैर-अपराध संबंधी गतिविधियों के आधार पर अलग-अलग किया जाए, जैसे लॉक-अप रूम, जांच कक्ष एक तरफ स्थित हों, जबकि पासपोर्ट सत्यापन, परामर्श, आवेदनों का सत्यापन आदि दूसरी ओर स्थित हों।

ये संशोधित मानदंड अगले दस से पंद्रह वर्षों के लिए अच्छे काम करेंगे और फिर उस समय की जरूरतों के अनुसार संशोधित किए जा सकते हैं।


5.5 - संशोधित मानदंडों-2016 के अंतर्गत आधुनिक पुलिस थाना भवनों के लिए मानदंड (2016), पुलिस थाना भवनों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणीबद्ध श्रेणियों की

वास्तुकला आरेखण/पुलिस थाना भवन के नक्शों की योजनाएं में निम्नानुसार सुझाव दिए गए हैं:

- i) नई दिल्ली, कोलकाता आदि जैसे महानगरों में आधुनिक पुलिस स्टेशन भवन।
- ii) बड़े शहरों जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, मद्रास आदि में आधुनिक पुलिस स्टेशन भवन।
- iii) नोएडा और गुडगांव जैसे अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आधुनिक पुलिस स्टेशन भवन।
- iv) ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक पुलिस स्टेशन भवन।

5.6 महानगरों में पुलिस स्टेशनों का खाका

5.6.1 सुगम्य आधुनिक पुलिस थाने की भूतल योजना



5.6.2 उपाख्यानो की व्याख्या (1 to 10)

आधुनिक पुलिस थाना भवन के समस्त श्रेणियों के वास्तुशिल्प आरेखों के लिए सामान्य


1. रैंप के पास और मुख्य प्रवेश द्वार से अधिक से अधिक 30 मीटर की दूरी पर निर्दिष्ट सुलभ पार्किंग स्थल।
2. प्रवेश द्वार को सुगम्य बनाने के लिए, 1.5मी- 2मी चौड़ा रैंप प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें 1:12 से अधिक ढाल न हो और रैंप के दोनों किनारों पर हैंडरेल होनी चाहिए जो अंत तक हो। हैंडरेल का विस्तार रैंप रन से पहले और बाद में दोनों ओर 300 मिमी तक होना चाहिए। रैंप और सीढ़ी शुरू होने से 300 मिमी पहले और बाद में स्पर्श चेतावनी टाइल लगाई जानी चाहिए।
3. प्रवेश द्वार पर दोहरे किवाड़ों के मामले में एक किवाड़ की न्यूनतम स्पष्ट चौड़ाई 1000 मिमी होनी चाहिए और इसे खोलने के लिए जरूरी बल 22एन से अधिक नहीं लगना चाहिए।
4. शौचालय सहित सभी दरवाजों की न्यूनतम स्पष्ट चौड़ाई 900 मिमी होनी चाहिए ताकि सभी लोग आसानी से उन में जा सकें।
5. स्वागत कक्ष के काउंटर सुगम्य होने चाहिए और व्हीलचेयर प्रयोक्ताओं और छोटे कद के लोगों और चल न सकने वाले दिव्यांगों के लिए 2 मीटर ऊंचा होना चाहिए। नीचे बना काउंटर की ऊंचाई 750 मिमी-800 मिमी की ऊंचाई पर होना चाहिए ताकि उस पर 680-700 मिमी तक घुटने न टकराए। काउंटर विस्तार 480 मिमी तक किया जाना चाहिए।

6. चढ़ाई पर सुगमता से जाने के लिए सीढ़ी क्षेत्र के साथ एक लिफ्ट लगाई जानी चाहिए। लिफ्ट कार का आंतरिक न्यूनतम आकार 1500x1500 मिमी होना चाहिए जिससे व्हीलचेयर प्रयोक्ता आसानी से प्रवेश कर सके।
7. चलने फिरने में अक्षम दिव्यांगों के अनुकूल डब्ल्यूसी लगाकर शौचालयों को संशोधित किया गया है। एकल सेक्स शौचालयों (महिलाओं या पुरुषों के लिए) के सेट में, चलने फिरने में अक्षम दिव्यांगों के उपयोग के लिए ऐसी डब्ल्यूसी लगाई जाएगी जो डब्ल्यूसी के सामने 900मिमीx900मिमी का गतिविधि स्थान प्रदान करता है, डब्ल्यूसी के दोनों ओर L आकार के हैंडरेल होंगे और दरवाजा बाहर की तरफ खुलेगा।
8. यूनिसेक्स सार्वभौमिक रूप से सुलभ शौचालय का आंतरिक क्षेत्रफल 2200 X 2000 मिमी का होना चाहिए जिसमें जाने के लिए गलियारे से एक स्वतंत्र प्रवेश प्रदान किया जाना चाहिए, न कि महिला या पुरुष शौचालय से।
9. फर्श पर सुलभ शौचालय बनाने के लिए मालखाना और शस्त्रागार कक्ष के प्रवेश द्वार को संशोधित किया गया है।
10. विशेष रूप से, प्रवेश द्वार, स्वागत कक्ष और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर स्पर्शनीय या मार्गदर्शन अंकन, सूचना और दिशात्मक संकेत प्रदान किए जाने चाहिए।

(विस्तृत विनिर्देशों के लिए अनुमोदित पहुंच मानकों को देखें)

5.6.2 सुगम्य आधुनिक पुलिस थाने की प्रथम तल योजना

AT
METRO POLITAN CITY



FIRST FLOOR PLAN
COVERED AREA AT FIRST FLOOR -750 SQ.M.

5.6.3 सुगम्य आधुनिक पुलिस थाने की द्वितीय तल योजना



SECOND FLOOR PLAN
COVERED AREA AT SECOND FLOOR = 730 SQ.M.

5.6.5 सुगम्य आधुनिक पुलिस थाने की तृतीय तल योजना


AT
METRO POLITAN CITY



THIRD FLOOR PLAN
COVERED AREA AT THIRD FLOOR - 750 SQ.M


5.7 बड़े शहर में पुलिस थाने का खाका

5.7.1 सुगम्य आधुनिक पुलिस थाने की भूतल योजना



GROUND FLOOR PLAN
COVERED AREA AT GR. FLOOR-1000 SQ.M

5.7.2 सुगम्य आधुनिक पुलिस थाने की प्रथम तल योजना




FIRST FLOOR PLAN
COVERED AREA AT FIRST FLOOR-600 SQ.M

5.7.3 सुगम्य आधुनिक पुलिस थाने की द्वितीय तल योजना



SECOND FLOOR PLAN
COVERED AREA AT SECOND FLOOR-609 SQ.M

5.7.4 सुगम्य आधुनिक पुलिस थाने की तृतीय तल योजना



THIRD FLOOR PLAN
COVERED AREA AT THIRD FLOOR-608 SQ.M

5.8.2 सुगम्य आधुनिक पुलिस थाने की प्रथम तल योजना

AT SEMI URBAN AREA




FIRST FLOOR PLAN
COVERED AREA AT FIRST FLOOR=600 SQ.M

5.9 ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थानों का खाका


5.9.1 सुगम्य आधुनिक पुलिस थाने के भूतल योजना

RURAL AREA



GROUND FLOOR PLAN
COVERED AREA AT GR. FLOOR-800 SQ.M

5.9.2 सुगम्य आधुनिक पुलिस थाने की प्रथम तल योजना



खंड-ड.

6. आधुनिक कारागार / जेल भवनों के लिए मानक


6.1 मौजूदा जेल डिजाइनों में सुधार के आधार के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, बीपीआरडी द्वारा जेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर की वास्तुकला डिजाइन विचार प्रतियोगिता शुरू की गई थी, ताकि सर्वोत्तम संभव मानवीय वातावरण प्रदान करके जेल में कैदियों का पुनर्वास किया जा सके:

- 1) विचाराधीन पुरुष कैदी, दोषसिद्ध पुरुष कैदी, महिला कारागार, उच्च सुरक्षा वार्ड, आदि जैसे विभिन्न कारागारों की अवधारणा और डिजाइन जिनमें जेल परिसर में विभिन्न स्थानों, आकारों और उनके खाकों के अंतर्संबंध को दर्शाया गया है।
- 2) जेलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अपेक्षित भूमि / क्षेत्र ।
- 3) भविष्य के विस्तार की संभावनाओं के साथ जेलों की क्षमता।
- 4) योजना और निर्माण चरणों में जेलों की सुरक्षा और प्रशासन में आसानी के लिए आवश्यक नवीनतम तकनीक का एकीकरण।
- 5) पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन।
- 6) निम्न समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम परिपाटियां:
 - a) कैदियों की अधिकता
 - b) सुरक्षा, निगरानी, शारीरिक अलगाव, जेलों में बंदी
 - c) स्वच्छता, पीने का पानी, खाना पकाने, भोजन आदि की दृष्टि से कैदियों का स्वास्थ्य और स्वच्छता।


- d) जेल परिसर में कर्मचारियों के लिए आवासीय रिहायश, सकल भूमि क्षेत्र के 20% से अधिक नहीं है।
- e) सड़क का खाका ऐसा है कि यह प्रत्येक भवन के लिए सिंगल पॉइंट व्हीकल एक्सेस प्रदान करता है।
- f) जेलों के तीनों ओर तीन दीवार प्रणाली की आवश्यकता होती है, न कि आवासीय परिसर की ओर।

6.2 उपरोक्त दिशा-निर्देशों के साथ जेलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का वास्तुशिल्प डिजाइन विकसित किया गया था जिसमें दिव्यांगों के लिए रैंप, पार्किंग, भवन में प्रवेश, गलियारे, स्वागत और लॉबी क्षेत्र में हैंड्रिल, स्वचालित सीढ़ियाँ और लिफ्ट, सीढ़ी, शौचालय, दरवाजे, पीने का पानी, साइनेज इत्यादि सुलभ मार्ग/मार्गों का ध्यान रखा गया। सुलभता अवधारणाओं के साथ कुछ आधुनिक जेल चित्र नीचे दिए गए हैं: -


Prison Master Plan




Admin Block




High Security Prison




Hospital



Mens Prison Complex




Barrack For Mens Prison




आधुनिक कारागार डिजाइन का चित्रीय दृश्य-1

The design of Central Prison should enable a place that is humane, secure and easy to administer. It should provide a setting for the prisoner to reform through work + education + play + health routine with the help of the support staff. This is done by specific design strategies for the whole as well as each part of the Prison.



आधुनिक कारागार डिजाइन का चित्रिय दृष्य-2



खंड-च

7. आपदा प्रबंधन केंद्रों के लिए मानक

7.1 सेंडाई आपदा जोखिम प्रबंधीकरण फ्रेमवर्क (डीआरआर) 2015-2030, आपदा जोखिम प्रबंधीकरण संबंधी तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया, यह स्वीकार करता है कि आपदा जोखिम प्रबंधन को समाज के हर प्रकार समर्थन और साझेदारी की आवश्यकता है, जो सशक्तिकरण और सुलभता एवं गैर-भेदभाव को बढ़ावा देता है जिसमें दिव्यांगों सहित आपदाओं से किसी न किसी रूप में प्रभावित सभी लोग शामिल होते हैं। सभी नीतियों और परिपाटियों में लिंग, आयु, विकलांगता और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को जोड़ा जाना चाहिए और महिलाओं और युवा नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित नागरिकों के संगठित स्वैच्छिक कार्य के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

7.1.1 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 8 दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित है और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि दिव्यांगों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात और प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों में समान सुरक्षा और सुरक्षा प्राप्त होगी। और यह कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (इ.) के तहत परिभाषित आपदा प्रबंधन गतिविधियों में दिव्यांगों की सुरक्षा और रक्षा का उचित ध्यान रखा जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले में दिव्यांग लोगों के विवरण का रिकॉर्ड रखेगा और ऐसे व्यक्तियों को जोखिम की किसी भी स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा ताकि आपदा के संबंद में तैयारी की जा सके। जोखिम, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं की किसी भी स्थिति के बाद पुनर्निर्माण गतिविधियों में लगे प्राधिकरण दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित राज्य आयुक्त के परामर्श से ऐसी गतिविधियां

करेंगे।

- 7.1.2 दिव्यांगों, वृद्ध लोगों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और अन्य जोखिम समूहों को अक्सर आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरआर) में भुला दिया जाता है और आपदा होने पर पीछे छोड़ दिया जाता है। उन्हें आपदा की तैयारी के उपायों से बाहर रखा गया है, जब समुदाय और जोखिम का अंदाजा लगाते हुए या निकासी योजना की बात आती है तो उनकी अनदेखी की जाती है, पर्यावरण और व्यवहार संबंधी बाधाओं या सुरक्षा जोखिमों के कारण आश्रयों और सुरक्षित स्थानों तक उनका पहुंचना कठिन होता है, और उन्हें अपर्याप्त या अनुचित राहत और सहायता मिल पाती है।
- 7.1.3 प्राकृतिक खतरों से सभी लोगों की सुरक्षा को खतरे में पड़ती है। हालांकि, यह कुछ लोगों को अधिक खतरा होता है, जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और दिव्यांग लोगों को। दिशानिर्देश का उद्देश्य स्थापित और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों और परिपाटियों के आधार पर जलवायु परिवर्तन के कार्यान्वयन तंत्र का समर्थन करने के लिए व्यावहारिक निर्देश प्रदान करना है ताकि सभी हितधारक प्रक्रिया को लागू और आगे बढ़ा सकें।
- 7.1.4 जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक खतरों और संघर्ष से संबंधित आपात स्थितियों के खतरे विश्व में तेजी से अनुभव किए जा रहे हैं जिससे आपदा जोखिम प्रबंधन को बढ़ाकर सामुदायिक विकास के अनिवार्य हिस्से के रूप में पहचाना जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए समावेशी आपदा जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता है कि समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) टिकाऊ, समावेशी और समर्थ समुदायों को बनाने में योगदान देता है जिससे आपदाओं का सामना किया जा सकता है। समवर्ती रूप से, सीबीआईडी का कार्य समर्थवान समुदायों के निर्माण का एक माध्यम है। समर्थता का मार्ग अत्यधिक प्रासंगिक है, लेकिन हमेशा एक भागीदारी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। केवल दिव्यांगों के साथ काम करके, समुदाय यह पहचान सकते हैं कि किसी विशेष संदर्भ में समर्थता बढ़ाने और जोखिमों को कम करने के लिए क्या आवश्यक है।

7.1.5 इस प्रकार, इन दिशानिर्देशों से निम्नलिखित बातें संभव होंगी:

7.1.5.1 आपदा घटाने, तैयारी करने, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयासों में दिव्यांगजनों को समावेशित करके हमारी जानकारी बढ़ेगी।

7.1.5.2 कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए दिव्यांगजनों और उनके प्रतिनिधि संगठनों की ताकत का पता चलेगा।

7.1.6 इस अध्याय के माध्यम से प्रस्तावित मार्गदर्शन से आपदा जोखिम कम करने (डीआरआर) में दिव्यांगजनों की कमजोरियों को कम करने समर्थता को बढ़ाने में हितधारकों की सहायता होगी और कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी। इन दिशानिर्देशों से प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर डीआरआर के क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी अधिकारियों / प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों (आईएनजीओ), दिव्यांगजनों, दिव्यांगजन संगठनों (डीपीओ) को प्रेरणा मिलेगी। अन्य हितधारकों में विकलांगता पर/आपदा में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), दिव्यांग कार्यकर्ता, देखभालकर्ता, स्कूल, स्वास्थ्य कर्मी डीआरआर, मीडिया आदि में काम करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं।

7.1.7 ये दिशानिर्देश आपदा जोखिमों में कमी करने के लिए प्रचलित मौजूदा उपलब्ध संसाधनों और दिशानिर्देशों और शासन तंत्र की विस्तृत समीक्षा से तैयार किए गए हैं। इसमें विविध सरकार, संयुक्त राष्ट्र और शैक्षणिक स्रोतों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता गैर-सरकारी संगठनों (आईएनजीओ) और डीपीओ से प्राप्त जानकारी शामिल की गई है। इस संबंध में निर्मित कार्यप्रणाली ने विभिन्न हितधारकों की गतिविधियों और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर उपलब्ध क्षमताओं को ध्यान में रखा गया है। इस संबंध में दिव्यांगजनों और डीपीओ द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था।

7.1.8 दिशा-निर्देशों को शुरू करने से पहले डीआरआर के सभी चरणों जैसे शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, वसूली और पुनर्वास में दिव्यांगता समावेशी कार्यों के लिए उन जोखिमों और

खामियों को समझना महत्वपूर्ण है जो दिव्यांगजनों को सामान्यतया और विशेष रूप से आपदा स्थितियों में सामना करना पड़ता है। तभी विकलांगता समावेशी दृष्टिकोण प्रभावी होगा।

7.2 सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों, सुगमता की सुविधा और सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच को अपनाना।

7.2.1 आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए डीआरआर तेजी से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। प्रौद्योगिकी से आपदाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना प्रणाली में दिव्यांगजनों को शामिल किया जा सकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षम चेतावनी प्रणाली जैसे एसएमएस, ईमेल और ट्विटर लोगों को आसन्न आपदा के प्रति सचेत करते हैं। यह निकासी मार्ग और सुरक्षित आश्रयों के स्थान भी दिखा सकता है। हालाँकि, सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग और वेब साइटों की बढ़ती संख्या के साथ, दुर्गम तकनीक या आईसीटी दिव्यांगजनों के लिए अच्छा करने के बजाए अधिक नुकसान करती है। संचार की उपलब्ध वैकल्पिक प्रणाली का उपयोग न करने के कारण वे आम तौर पर बेखबर और आश्रित होते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी की सुलभ विशेषताएं होती हैं। दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले लोग स्क्रीन को नहीं पढ़ सकते हैं। सांकेतिक भाषा की व्याख्या और ऑडियो विवरण के बिना यूट्यूब या रेडियो और टेलीविजन में दि जाने वाली चेतावनी क्रमशः बहरे और दृष्टिहीन लोगों को सूचना प्रणाली से बाहर कर देती है। इसलिए, आपदा प्रबंधन कर्मियों को आईसीटी को समान रूप से विकसित करने और दिव्यांगजनों तक पहुंचने के लिए पारंपरिक पहुंच बाधाओं को दूर करने के उपकरण के रूप में कार्य करना होगा। साथ ही, उन्हें सावधान रहना होगा कि आईसीटी-सक्षम आपदा और आपातकालीन प्रबंधन दुर्गमता के कारण आगे बाधा उत्पन्न न करें - किसी आपदा या आपातकालीन स्थिति में, सूचना स्रोतों से बाहर होने और राहत कर्मियों या संसाधनों से

जुड़ने में असमर्थ होने के कारण घातक साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, वेबसाइटों को सुलभ होने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए और विश्व वेब बोध पहल संगठन द्वारा विकसित वेब सामग्री पहुंच संबंधी दिशानिर्देश (डब्ल्यूसीएजी) के नवीनतम संस्करण का पालन करना चाहिए। यदि वेबसाइटों को सुलभ करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता है, तो सहायक उपकरणों का उपयोग करने वाले या इनपुट/आउटपुट के वैकल्पिक साधनों की आवश्यकता वाले लोग जानकारी तक पहुंचने में असमर्थ होंगे।

7.2.2 भौतिक दुर्गमता के घातक परिणाम भी हो सकते हैं क्योंकि यह भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता, आश्रय और परिवहन तक पहुंच से जुड़ा है। जब सुलभ मार्ग और आश्रय उपलब्ध नहीं होते हैं, तो दिव्यांग व्यक्ति अधिक जोखिम में होते हैं। चलने में असमर्थ और अन्य कमियां ऐसे व्यक्तियों को राहत और पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं से बाहर कर सकती है।

सार्वभौमिक डिज़ाइन और डीआरआर के सभी चरणों में समुचित आवास के सिद्धांतों और उस संबंध में तैयारी का हिस्सा बनने की आवश्यकता होती है। सार्वभौमिक डिज़ाइन पर कार्य करने के लिए अधिक प्रशिक्षित पेशेवरों और श्रमिकों की जरूरत होती है तथा इस दिशा में आरंभिक कार्यकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है। आपदा न्यूनीकरण केंद्रों हेतु निर्मित वातावरण तक आसान पहुंच से आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों (समय-समय पर अद्यतन) में दिए गए मानकों का पालन किया जा सकेगा।

7.2.3 तैयारी और शमनक कार्यनीतियाँ

जब दिव्यांगजनों के रहने का ठिकानों, संसाधन जरूरतों की सूची; स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की पहचान; विशेष शिक्षकों की सूची, चिकित्सकों और पेशेवरों (ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, सांकेतिक भाषा दुभाषिया आदि) के ठिकानों का पता और सुलभ परिवहन नहीं होगा तो दिव्यांगजन तैयारियों और शमन रणनीतियों से बाहर रह जाएंगे जिससे न

केवल दिव्यांगजन प्रभावित होंगे बल्कि उनके समुदायों को समर्थ बनाने में भी मुश्किल आती होगी।

दिव्यांगजनों को निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन रक्षक उपकरणों और दवाओं की जरूरत हो सकती है और यदि ये उपलब्ध नहीं हैं तो वे खतरे में पड़ जाते हैं। टिकाऊ चिकित्सा उपकरणों, जीवन रक्षक उपकरणों (श्वसन यंत्रों) और समुदायों को नियमित आपूर्ति, आघात की दशा में तुरन्त राष्ट्रीय भंडार उनके जीवन को बचाने और उनकी विकलांगता को बढ़ाने की संभावना को कम करने में मदद करेगा।

7.2.4 खोज, बचाव और निकासी (एसआरई)

तत्क्षण कदम न उठा सकने के कारण घायल हो जाने, निकासी के बारे में सूचित न किए जाने और प्रशिक्षण प्रोटोकॉल से अनविज्ञ रहने के कारण दिव्यांगजन एसआरई प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं। दिव्यांगजनों की संख्या, स्थान और जरूरतों के बारे में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध न होना एसआरई और डीआरआर के राहत चरणों के दौरान जरूरतों को पूरा करने में प्रमुख बाधा है।

एसआरई प्रक्रिया में दिव्यांगता और भी असर डालती है क्योंकि परिवार और निजी परिचारक, जिन पर दिव्यांग निर्भर करते हैं, घायल हो सकते हैं या उनकी मृत्यु हो सकती है। हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के दिव्यांगों के लिए एसआरई में विशेष तकनीक या प्रक्रियाओं का अभाव हो, या उनके उपयोग के लिए कोई स्वयं आगे न आए, या उनकी जगह जानकार या पेशेवर प्रशिक्षित लोग न हों। सहायक उपकरण उपलब्ध न होने से संस्थान में रहने वाले मानसिक-सामाजिक या बौद्धिक दिव्यांगों को अधिक जोखिम हो सकता है और उन्हें योजना से बाहर रखा जा सकता है। हो सकता है कि चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़े और श्रवण यंत्रों खराब हो जाए और मानसिक रोगियों के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) ट्रैकिंग डिवाइस गुम हो जाए या काम न करें।

बाढ़ के दौरान निकासी के लिए सुगम परिवहन: - बाढ़ के दौरान पानी अधिक होने के कारण खाली करवाने के सामान्य तरीकों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में खाली करवाने के लिए अक्सर नावों का उपयोग किया जाता है। हालांकि, इन नावों को चलन-फिरने में अक्षम और व्हीलचेयर प्रयोक्ताओं की आवश्यकतानुसार परिवर्धित या संशोधित किया जा सकता है। दिव्यांगों के लिए विभिन्न प्रकार की नावों को सुलभ बनाने के कई उदाहरण हैं जैसे कि रैंप लगी या शौचालययुक्त अथवा एक तरफ सपाट फर्श वाली नावें जिन्हें रैंप से रोल-ऑन / रोल-ऑफ करके नीचे लाया जा सकता है (उदाहरण के लिए व्हील बोट देखें)।

खड़े-खड़े खाली करने के लिए उपकरण: - ऊंची इमारतों और बहुमंजिला इमारतों में चलने-फिरने में असमर्थ लोगों को निकालने के दौरान एक बड़ी चुनौती होती है क्योंकि लिफ्ट काम नहीं कर सकती हैं। व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले लोगों को सीढ़ियों से निकालने के लिए कई प्रकार की सहायता उपलब्ध है- जैसे निकासी कुर्सियों को लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से नीचे ले जाने के लिए दिव्यांगों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन कुर्सियों को ऐसे इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि एक भी व्यक्ति व्हीलचेयर प्रयोक्ता को निकालने में सहायता कर सके। इन्हें कार्यालय भवनों में और निकासी टीमों और बचाव कर्मियों द्वारा पहले से खरीदा जा सकता है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि प्रयोक्ताओं को नियमित रूप से इन कुर्सियों का सही और शीघ्र उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

7.2.5 राहत पहुंचाना

जिन मानकों में दिव्यांगता निर्दिष्ट राहत प्रोटोकॉल और सलाह शामिल नहीं होती है उनसे भेदभावपूर्ण प्रणाली की नींव पड़ती है। जब आपात स्थिति में दिव्यांगों की अनदेखी की जाती है तो प्रभावित लोग राहत और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं तक पहुंचने में असमर्थ होंगे।

बार कोड या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के बिना महंगे उपकरण और सहायक और गतिशीलता वाले उपकरण (व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बेल अनुवादक, बैसाखी, कृत्रिम अंग, श्वासयंत्र आदि) गुम हो जाते हैं या आपात स्थिति के दौरान निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे राहत देना मुश्किल हो जाता है।

सुलभ परिवहन जो सुरक्षित, विश्वसनीय और समयानुकूल होते हैं और पैरा-ट्रांसपोर्ट (छोटे वाहन, ऑटो और साइकिल रिक्शा) को घर-घर से निकासी के लिए आवश्यक हैं, लेकिन हो सकता है कि वे उपलब्ध न हों या अनुमत न हों और इसलिए दिव्यांगजनों के लिए राहत विकल्प सीमित हो जाएंगे।

आपदाओं के दौरान लोगों की रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क की चोट जैसी शारीरिक घाव हो जाते हैं, लेकिन पूर्व योजना के बिना महत्वपूर्ण देखभाल उपलब्ध नहीं हो सकती है।

7.2.6 पुनर्वास और पुनर्निर्माण (आर एंड आर)

जब पुनर्निर्माण के प्रयासों में सार्वभौमिक डिजाइन या समावेशी संसाधन शामिल नहीं होते हैं तो दिव्यांगजनों को विविध चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। "बेहतर निर्माण" की प्रक्रिया में बुनियादी ढांचे (आश्रय, स्कूल, घर, सार्वजनिक भवन आदि) शामिल करने की आवश्यकता होती है। यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो दुर्गम राहत वितरण केंद्रों और सहायता प्रदान करने वाली दूर की साइटों के कारण दिव्यांगजनों को राहत और पुनर्निर्माण दोनों चीजों से बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए आवास न केवल दुर्गम हो सकता है बल्कि सामुदायिक आवास में भी नहीं रखा जा सकता है।

यदि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से वंचित लोगों के पास समुचित रहने की व्यवस्था नहीं होगी और दुबारा नौकरी पाने का कोई जरिया नहीं बचा और गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक उनकी पहुंच नहीं होगी तो उनके आर्थिक स्तर में और भी गिरावट आएगी। यदि उनकी दिव्यांगता से संबंधित खर्च बढ़ जाते हैं और वसूली के चरण के दौरान उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी तक उनकी पहुंच नहीं होती है, तो स्थिति बदतर हो सकती है। जो

लोग हाल में विकलांग हुए हों तो हो सकता है कि वे किसी भी पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रणाली से बाहर रखे जाएं, क्योंकि वे पंजीकृत नहीं होते हैं।

प्रशिक्षित डीपीओ जो संसाधनों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हो सकता है कि उन्हें पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण प्रक्रिया के दौरान दिव्यांगों के सेवा प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध न किया जाए या मान्यता प्राप्त न हो। न केवल दिव्यांगों और उनकी देखभाल करने वालों को बल्कि दिव्यांग लोगों के संगठनों को भी इसमें शामिल करने की आवश्यकता होती है।

रीढ़ की हड़डी, सिर की चोट आदि से घायल व्यक्तियों के लिए लंबे समय तक पुनर्वास की आवश्यकता होती है लेकिन विशेष पुनर्वास सेवाएं भारत में सीमित हैं और उनके निवास स्थान से बहुत दूर होती हैं।

7.2.7 दिव्यांग लड़कियां या महिलाएं

आपदाएं मौजूदा स्त्री-पुरुष विषमता को बढ़ा देती हैं। मौजूदा सामाजिक भेदभावपूर्ण रवैये के कारण दिव्यांग महिलाओं को डीआरआर में भागीदारी से बाहर रखा जा सकता है और उन्हें सक्षम नहीं माना जा सकता है, भले ही समुदायों की समर्थता को मजबूत करने में उनके ज्ञान और कौशल से लाभ क्यों न मिल रहा हो।

वे घर के अंदर और सार्वजनिक स्थानों (स्कूलों, कार्यस्थलों, अस्पतालों आदि) में विशेष रूप से यौन और लिंग आधारित हिंसा के लिए जोखिमपूर्ण और असुरक्षित हो सकती हैं और उनका अवैध देह व्यापार किया जा सकता है। यदि कोई सुरक्षा प्रणाली या कानून व्यवस्था या समुदाय का समर्थन नहीं है, तो उनकी मुश्किलता और भी बढ़ जाएंगी। उन्हें अक्सर सामाजिक सहायता सेवाओं से बाहर रखा जा सकता है यदि वे चलने फिरने में असमर्थ हैं तो उन्हें आपदाओं के बाद विस्थापन के दौरान या जब वे असुरक्षित स्थानों पर प्रवास करती हैं तो शिविरों / अस्थायी आवास में पीछे छूट जाती हैं।

महिलाएं समरूप समूह नहीं होती हैं और कुछ महिलाएं जो परिवार में मुखिया होती हैं और एकल युवा महिलाएं दूसरों की तुलना में अधिक पीड़ित हो सकती हैं। उन्हें आमतौर पर अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने या निर्णय लेने में शामिल करने के लिए बहुत कम अवसर प्रदान किए जाते हैं।

7.2.8 दिव्यांग बच्चे

आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए बच्चों को अत्यधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। वे शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण के प्रति अतिसंवेदनशील हो सकते हैं, जब स्कूल सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते हैं तो आघात बढ़ जाता है। वे स्कूलों और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच से वंचित हो जाते हैं। यदि शिक्षक और बच्चे एसआरई में अप्रशिक्षित हैं तो दिव्यांग बच्चों की आघात और मृत्यु दर बढ़ जाती है। दिव्यांग बच्चों के लिए बने विशिष्ट स्कूल, खासकर यदि विशेष स्कूलों को स्कूल सुरक्षा कार्यक्रमों से बाहर रखा गया है तो वे सुरक्षा को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करते हैं।

आपात स्थिति के दौरान बच्चों में बाधाओं का सामना करने की क्षमता कम हो सकती है और वे पर्याप्त स्वास्थ्य, शारीरिक पुनर्वास और मनोसामाजिक सुधार सुविधाओं तक नहीं पहुंच सकते हैं। विकलांग बच्चों को अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने या निर्णय लेने में शामिल करने के लिए कुछ अवसर प्रदान किए जाते हैं। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके शोषण को कम करने के लिए एक आपदा क्षेत्र में मजबूत बाल संरक्षण तंत्र को चालू करने की आवश्यकता है।

7.2.9 बुजुर्ग व्यक्ति

बुजुर्गों की आबादी में अनुमानित वृद्धि के साथ, आपदाओं के दौरान दिव्यांग लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के नष्ट होने या अत्यधिक बोझ वाली सेवाओं

से आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण दिव्यांग व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति को अधिक प्रभावित करेंगी।

उन्हें पुरानी बीमारियां हो सकती हैं, पूरी तरह से नजर जा सकती है, और शायद ही कभी कोई बीमा हो। डीआरआर प्रक्रिया ने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को ध्यान में नहीं रखा गया होगा।

बुजुर्ग आबादी का एक वर्ग जो महिलाएं हैं और विशेष रूप से विधवाएं हैं और ग्रामीण गरीब पृष्ठभूमि से आती हैं, उनके संसाधनों, विशेष रूप से भोजन, पीने योग्य पानी, उन्हें सुरक्षित आश्रय और स्वच्छता आवश्यकताओं और स्वच्छता तक पहुंच से बाहर होने का अधिक जोखिम होता है। बुजुर्ग लोगों से सलाह नहीं ली जा सकती है या उन्हें निर्णय लेने की भूमिका नहीं दी जा सकती है।

7.2.10 मनो-सामाजिक विकलांगता वाले व्यक्ति

मनो-सामाजिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों को कानून के समक्ष कानूनी क्षमता वाले व्यक्तियों के रूप में समान शर्तों पर दूसरों के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें अधिक जोखिम होता है क्योंकि समावेशन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए अपर्याप्त आंकड़े या संकेतक होते हैं।

हो सकता है कि कार्यकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को कानूनी क्षमता के अधिकार का ज्ञान न हो और इसलिए उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कई लोगों को शिविरों में रखा जा सकता है और किसी भी क्षमता निर्माण में शामिल नहीं किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक के कारण, परामर्श और सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं या उन्हें शामिल करने के प्रयास किए जाते हैं। बिना सूचित सहमति के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

7.3 जोखिम और खामियों से समावेशन तक

दिव्यांगजनों की "विशेष" ज़रूरतें नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें डीआरआर में शामिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि खामियों की अनेक वजहें होती हैं। जोखिमों के होते हुए आपदा के समय इन पर काबू पाने का मतलब होगा पुख्ता तैयारी। जोखिम की पहचान करते हुए यह विचार किया जाना चाहिए कि यह कई स्तरों पर मौजूद हो सकती हैं उदाहरण के लिए विकासात्मक या मानसिक सामाजिक विकलांग व्यक्तियों या महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के लिए, उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए पहचान करने और उनके बीच अंतर को परखने की आवश्यकता होगी और उन्हें सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी। जोखिम किसी व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमता से संबंधित हो सकता है जिसे पुनर्वास, सहायक उपकरणों, सूचना और क्षमता निर्माण जैसी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से सुधारा जा सकता है लेकिन सामाजिक समावेशन अनिवार्य है क्योंकि इससे न केवल जोखिम को कम किया जा सकेगा अपितु निर्णय लेने की भूमिका भी इससे बढ़ेगी। दिव्यांगों के जोखिम को परखने और उसे कम करने संबंधी दोनों ही मामलों में शामिल होने के लिए अधिक क्षमता की आवश्यकता होती है। भौतिक और संचार साधनों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने और क्षमता निर्माण करने से सभी डीआरआर कार्यों में अन्य सभी के साथ समान आधार पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने में मदद मिलेगी और इससे चीजें भी स्पष्ट होंगी।

7.3.1 यह महत्वपूर्ण है कि हम निम्नलिखित को पहचानें:

- सामाजिक, मनोवृत्तिक और पर्यावरणीय बाधाओं से उत्पन्न होने वाले अधिक जोखिम और कमजोरियाँ।
- यह कि दिव्यांगजन समरूप समूह के नहीं होते हैं, उनकी अलग-अलग क्षमताएं और आवश्यकताएं होती हैं और उन्हें विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।


- c) यह "विशेष जस्ूरतों" का मामला नहीं है, बल्कि कार्यान्वयन के लिए वैकल्पिक प्रणालियों को अपनाने को प्राथमिकता देने का मामला है।
- d) दिव्यांगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पास काफी क्षमताएं होती हैं और उन्हें सक्रिय रूप से डीआरआर में दिव्यांग विशेषज्ञों के रूप में शामिल करने से उनके मुख्य सरोकारों को हल करने में मदद मिलेगी और समानता के उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने में योगदान मिलेगा।


7.4 समावेशी आपदा न्यूनीकरण केंद्रों को साकार करने के लिए सुझाए गए कार्य

- a. दिव्यांग-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं की उपलब्ध करना।
- b. समावेशी नीतियों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए निगरानी प्रणालियाँ विकसित करना।
- c. सभी प्रासंगिक सेवा कर्मियों के लिए दिव्यांग-समावेशी प्रशिक्षण मॉड्यूल, सामग्री और प्रशिक्षकों की उपलब्ध कराना।
- d. दिव्यांगजनों के लिए सुलभ प्रारूपों में सूचना पैक और प्रशिक्षण किट तैयार करना और उन्हें प्रसारित करना और शुरुआती कार्यकर्ताओं और अन्य राहत कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए नियमावली बनाना।
- e. डब्ल्यूसीएजी 2.0 मानक के अनुसार वेब साइटों और अन्य प्रासंगिक और संबद्ध निकायों की वेबसाइट को सुलभ बनाना।
- f. स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर विकलांगता-समावेशी डीआरआर प्रथाओं में मात्रात्मक वृद्धि करना।
- g. दिव्यांगता-समावेशी बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना।
- h. डेटा तैयार करने के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी सहयोग और समर्थन करना, अकादमिक और फील्ड स्तर पर बाधाओं का निराकरण और पता लगाना।

- i. दिव्यांगजनों पर आपदाओं के अलग-अलग प्रभाव के संबंध में अलग-अलग डेटा एकत्रित करना।
- j. मनोसामाजिक सहायता सेवा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जो आपदाओं से प्रभावित दिव्यांगों की सहायता करने में सक्षम हों।
- k. सुनिश्चित करना कि सभी राहत कर्मियों के साथ-साथ हर रोज आपात स्थिति से निपटने वाले व्यक्तियों को दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाता है।
- l. यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांगों को निकासी अभ्यास में शामिल किया गया है।
- m. सभी मौजूदा आश्रयों को सुलभ बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग करना और यह सुनिश्चित करना कि नए केंद्र डिजाइन चरण से सुलभ हैं।
- n. आपदा और आपातकालीन सेवाओं को सुलभ बनाना।
- o. दिव्यांगों के लिए आपदाओं की तैयारी और प्रतिक्रिया में सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को उपलब्ध करना।
- p. प्रशिक्षण में अधिक से अधिक शामिल करना।
- q. डीडीआरआर के लिए कॉर्पस स्थापना करना।
- r. सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांतों का पालन करते हुए स्कूलों, अस्पतालों और आश्रयों सहित सुलभ और मजबूत बुनियादी ढांचा मॉडल लागू करना।
- s. एसएफडीआरआर कार्यान्वयन पर उप-राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग।
- t. एनजीओ और डीपीओ प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन और रिपोर्ट विश्लेषण।
- u. एसडीजी देशों के प्रतिवेदन।

7.5 गुजरात में एक आपदा न्यूनीकरण केंद्र (बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय) के वास्तुशिल्प चित्रों के कुछ नमूने संदर्भ में आसानी के लिए नीचे दिए गए हैं:





खंड-छ

8. निर्मित अवसंरचना जैसे पुलिस स्टेशन, जेल, आपदा प्रबंधन केंद्र आदि के साथ संबद्ध सेवाएं।
- 8.1 दिव्यांगजनों को बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उन्हें दूसरों के साथ समान आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित, प्रतिबंधित और रोकते हैं, जो उनकी गरिमा का अपमान है। इसलिए, समाज में दिव्यांगों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकने या बाधित करने वाली बाधाओं के निरकरण पर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है। नतीजतन, बाधाओं को खत्म करने और समान अवसरों के लिए स्थितियां सृजित करना राज्य का मुख्य दायित्व और प्राथमिकता है।
 - 8.1.1 शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार, प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तथा अन्य सुविधाओं और सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना और पुलिस संस्थानों के भीतर सभी प्रकार की पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
 - 8.1.2 सभी उचित उपाय करने आवश्यक हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुलिस सेवाओं के निष्पादन के दौरान यथोचित आवास प्रदान किया जाए, अर्थात् जब किसी विशेष मामले में पुलिस प्रक्रिया के आवश्यक होने पर आवश्यक और उपयुक्त संशोधन और समायोजन किया जाना आवश्यक है जिससे अधिक और अनावश्यक बोझ न पड़े। उचित आवास से इनकार करना दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव समझा जाएगा।
 - 8.1.3 उदाहरण के लिए पुलिस थाने के भवन के प्रवेश द्वार और स्वागत कक्ष में पठनीय/देखने योग्य/सुलभ प्रारूप में दिया गया दिव्यांगों के अनुकूल रैंप, प्लेटफॉर्म, सीढ़ियां, शौचालय, पीने के क्षेत्र, महत्वपूर्ण कमरे और कार्यालयों आदि को दर्शाने वाले छूकर पता लगाने वाला स्थल मानचित्र होना चाहिए, जोकि दिव्यांगों के लिए अच्छा होगा। उपलब्ध सुलभ सुविधाओं के

संबंध में नक्शा और संबंधित जानकारी संबंधित ऐप और वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

8.1.4 सुगम्यता के संबंध में जांच एक टीम द्वारा की जानी चाहिए जिसमें सक्षम सुगम्यता जानने वाले निरीक्षक, दिव्यांग, सभी पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारी, जेल और आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा नियमित आधार पर की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, दिव्यांगजन अधिनियम के अनुपालन में बुनियादी ढांचे को अधिक सुलभ बनाने के लिए नियमित रखरखाव और नवीनीकरण किया जाना चाहिए।

8.1.5 सुगम्यता के संबंध में समय-समय पर संशोधित मानदंडों का अनुपालन, पुलिस, जेलों और आपदा प्रबंधन केंद्रों द्वारा शुरू किए गए किसी भी उत्पाद और सेवाओं के लिए सभी खरीद अनुबंधों में एक अनिवार्य दायित्व के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। अभिगम्यता और सार्वभौमिक डिजाइन मानदंडों के अधिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, विक्रेताओं के मूल्यांकन के लिए निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सभी संबद्ध सेवाओं, उत्पादों, डिजाइनों आदि के लिए ऐसे मानदंडों का पालन करने वाले विक्रेताओं को उनके अन्य साथियों की तुलना में बरीयता दी जानी चाहिए।

8.2 सूचना और संचार तक पहुंच

8.2.1 दिव्यांग लोगों के साथ बात करते समय कुछ दिव्यांगों को पेश आने वाली बाधाओं के कारण होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। इसलिए, संचार और बातचीत सही से हो सके, इसके लिए नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस प्रकार, सुलभ डिजाइन के अलावा, अलग-अलग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुलिस वेबसाइटों और संस्थागत सामाजिक नेटवर्क का विकास और निर्माण बहुत आवश्यक है।

- 8.2.2 इसके अलावा, पुलिस स्टेशनों में शिकायत करने, प्राथमिकी दर्ज करने, आपराधिक घटनाओं की रिकॉर्डिंग करने, विभिन्न आवेदन प्रपत्रों के लिए पूछताछ करने, पुलिस सत्यापन, दस्तावेजों को अपलोड करना आदि के लिए विभिन्न 'ऐप आधारित सेवाएं' उपयोग में हैं। उदाहरण के लिए: यूपीपी लॉस्ट रिपोर्ट ऐप, राज कॉप और राज पुलिस नागरिक, साथी (आनंद पुलिस और वलसाड पुलिस)। हालांकि, ऐसे सभी एप्लिकेशनों को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए, ताकि ऐप पर सभी सूचनाओं को पढ़ने योग्य रूप में उपलब्ध कराया जा सके। ऐप के उपयोग को समझने में श्रवण बाधित लोगों की मदद करने के लिए सांकेतिक भाषा के वीडियो भी ऐप पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मोबाइल ऐप की सभी सुविधाओं को एक वेबसाइट के माध्यम से भी सुलभ बनाया जाना चाहिए, जिसे कंप्यूटर के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
- 8.2.3 वेबसाइटों, संबद्ध सेवाओं की सुलभता और सामाजिक प्रभाव के संबंध में समय-समय पर सक्षम जांचकर्ताओं द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ की जानी चाहिए और दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम के अनुपालन के लिए लागू की गई सिफारिशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
- 8.2.4 पंजीकृत मध्यस्थों के माध्यम से संचार की सुविधा: अक्सर दिव्यांगजनों के लिए पुलिस स्टेशनों और न्यायिक और सुधारात्मक मंचों पर संचार एक बड़ी चुनौती होती है। दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए, जिन पर आपराधिक अपराध का संदेह है, परीक्षण पूर्व सुरक्षा उपायों की उपस्थिति के संबंध में प्रोटोकॉल, पंजीकृत मध्यस्थ योजना पर विचार किया जाना चाहिए। यह हितों, अधिकारों, अधिकारों की रक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगजनों के साथ उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है और वे न्याय व्यवस्था में प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम हैं। किसी पंजीकृत मध्यस्थ को भाषण और भाषा चिकित्सा, परामर्श, पुनर्वास, नर्सिंग, व्यावसायिक चिकित्सा, शिक्षा, या मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ कौशल

के साथ कोई पेशेवर होना चाहिए, जिसकी भूमिका पुलिस जांच के दौरान और परीक्षण के दौरान संचार की सुविधा के लिए हो। संवेदनशील गवाहों का साक्षात्कार लेने वाले पुलिस अधिकारियों की सहायता के लिए पंजीकृत मध्यस्थ भी उपलब्ध हो। सभी मामलों में, मध्यस्थ कमजोर व्यक्ति की संचार आवश्यकताओं का व्यापक मूल्यांकन पूरा करता है और एक लिखित रिपोर्ट में अनुशंसा करता है कि व्यक्ति से कैसे पूछताछ की जानी चाहिए।

8.3 वेबसाइटों, वेब और मोबाइल एप्लिकेशन के लिए पालन किए जाने वाले मानक

8.3.1 किसी भी पुलिस विभाग, जेल अधिकारियों या आपदा शमन विभागों द्वारा विकसित सभी वेबसाइट, वेब एप्लिकेशन, मोबाइल एप्लिकेशन आदि में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों का पालन किय जाएगा। (जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किया जाए) और एसटीक्यूसी प्रमाणित हो। वेबसाइटों पर डाले जाने वाले दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन (ईपब) या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर (ओसीआर) आधारित पीडीएफ प्रारूप में होने चाहिए। संस्थागत सामाजिक नेटवर्क चलाने वालों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि सामग्री दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ है, उदाहरण के लिए, चित्र के साथ दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए छवि विवरण और दिव्यांगजन अधिकार नियमों के नियम 15 के तहत आईएस 17802 के साथ-साथ आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के लिए अभिगम्यता की इसी तरह आगे अनुपालन की आवश्यकता होगी।

8.3.2 दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट समयबद्ध तरीके से मानकों / प्रमाणपत्रों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभता सुविधाओं और सहायता को बढ़ाने के लिए मौजूदा अनुप्रयोगों को भी उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

[नोट: मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (STQC) निदेशालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है।]

- 8.3.3 पुलिस को दिव्यांगों की सक्रिय सुनवाई को प्रोत्साहित करना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिकारी यह समझने का सर्वोत्तम प्रयास करेंगे कि दिव्यांग व्यक्ति क्या संदेश देना चाहता है, जिससे उन्हें ऐसा करने के लिए जितना आवश्यक हो उतना समय मिल सके। पुलिस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित और निश्चित किया चाहिए कि अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई जानकारी को दिव्यांग व्यक्ति समझ गया है।
- 8.3.4 दिव्यांग व्यक्तियों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए पाठकों, पेशेवर सांकेतिक भाषा के दुभाषियों और कानूनी और प्रक्रियात्मक क्षेत्र के विशेषज्ञों का तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- 8.4 पुलिस स्टेशनों, कारागार आदि में विकलांग व्यक्तियों के लिए संबद्ध सेवाओं में पहुंच के लिए दिशानिर्देश:
- 8.4.1 संबंधित पुलिस अधिकारी के साथ बातचीत करते समय कुछ दिव्यांग व्यक्तियों को पेश आने वाली बाधाओं के कारण होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- 8.4.2 सांकेतिक भाषा और विभिन्न संचार प्रणालियों, जैसे ब्रेल, संवर्द्धन और वैकल्पिक तरीकों, साधनों और संचार के प्रारूपों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए और सुविधाजनक बनाना चाहिए।
- 8.4.3 संचार और बातचीत को सुलभ बनाने के लिए नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- 8.4.4 अलग-अलग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ डिजाइन को बढ़ावा देना, पुलिस वेबसाइटों और संस्थागत सामाजिक नेटवर्क बनाना और उनका विकास करना।
- 8.4.5 पुलिस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने और पुष्टि करने के लिए कि दिव्यांग व्यक्ति अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई जानकारी को समझ गया है। साथ ही, दिव्यांग

व्यक्तियों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तंत्र स्थापित करना, जिसमें पाठक, पेशेवर सांकेतिक भाषा के दुभाषिए, कानूनी और प्रक्रियात्मक क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हों।

- 8.4.6 दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के लिए लिंग आधारित हिंसा के क्षेत्र में उपलब्ध सूचनाओं और सेवाओं तक पहुंच की गारंटी देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रारूप हमेशा सुलभ हों। बधिर महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो मुख्य रूप से सांकेतिक भाषा का उपयोग करती हैं जो भारतीय सांकेतिक भाषा का मानक रूप हो सकता है या व्यक्ति द्वारा विकसित स्वदेशी संकेत हो सकता है।
- 8.4.7 बधिर व्यक्तियों के लिए विभिन्न संचार प्रणालियों को स्थापित और कार्यान्वित करना, अन्य बातों के साथ-साथ जैसे पाठ संदेश, सांकेतिक भाषा व्याख्या के साथ वीडियो कॉल, सांकेतिक भाषा में दस्तावेजों का अनुवाद करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पुलिस कर्मियों के साथ संवाद कर सकते हैं।
- 8.4.8 ऑडियो और ब्रेल प्रारूप में सुलभ जानकारी प्रदान करना ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति पुलिस कर्मियों के साथ संवाद कर सकें।
- 8.4.9 बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के साथ बात करते समय मौखिक और/या लिखित भाषा में चित्रलेख हेतु छवियों का प्रयोग करें।
- 8.4.10 शहरी और ग्रामीण दोनों स्थितियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच के सभी पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए:
- अल्प-दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए समुचित प्रकाश की व्यवस्था।
 - विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सीढ़ियों की कदम पर चेतावनी टेप।
 - छोटे कद, स्केलेटल डिस्प्लेसिया, व्हीलचेयर वाले व्यक्तियों के लिए अलग-अलग ऊंचाई के सेवा डेस्क।

- d) सुलभ स्वच्छता सेवाएं, व्हीलचेयर की ऊंचाई पर डब्ल्यूसी जसमें फोल्डिंग सपोर्ट बार हों और इसके चारों ओर खाली स्थान रखा गया हो, व्हीलचेयर के लिए पर्याप्त फ्रंटल स्पेस के साथ सिंक, 1.5 मीटर घूमने वाला फोसेट।
- e) बाथरूम में बंक, स्ट्रेचर या अन्य समान उपकरण रखें ताकि रीढ़ की हड्डी पर चोट वाली महिलाएं अपने शारीरिक कार्यों को ठीक से कर सकें।

- 8.4.11 परिसर में प्रवेश करने और घूमने के दौरान दिव्यांग व्यक्ति को हमेशा उसकी गरिमा के साथ सुरक्षा प्रदान करना।
- 8.4.12 दिव्यांग व्यक्ति के बयान और रिपोर्ट लेने के दौरान गोपनीय गवाही देने के लिए उसके अनुरोध पर आरामदायक और सुरक्षित स्थान प्रदान करना वशर्त कि कि जब तक कि उसने सार्वजनिक रूप से अपनी गवाही देने के लिए नहीं कहा हो।
- 8.4.13 पुलिस परिसर में बधिर व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए, सेलुलर या कंप्यूटर उपकरणों के माध्यम से एक दूरस्थ वीडियो कॉल सांकेतिक भाषा की व्याख्या सेवाएं उपलब्ध कराना।
- 8.4.14 दिव्यांगजनों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए, तकनीकी सहायता जैसे व्हीलचेयर, आर्थोपेडिक बेंत, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए गाइड केन और श्रवण यंत्र या टेलीफोन जो बधिर व्यक्तियों और वाचाघात वाले व्यक्तियों के लिए संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को तकनीकी सहायता का उपयोग करने वाले व्यक्ति से न तो उसे हटाना चाहिए और न ही उसे जस्ट करना चाहिए।
- 8.4.15 यह जानने के लिए कि दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है, इसलिए उनकी विकलांगता को ध्यान में रखते हुए उनके साथ हमेशा तमीज से पेश आना चाहिए।

- 8.4.16 यह सुनिश्चित करें कि पुलिस अधिकारी दिव्यांग व्यक्तियों के साथ सीधे संपर्क करें। इसका अर्थ यह है कि दिव्यांग व्यक्ति को सीधे संबोधित करें, न कि उनके साथ आने वाले व्यक्ति या दुभाषिया, यदि कोई हो।
- 8.4.17 यह सुनिश्चित पुष्टि करने के लिए कि अधिकारी द्वारा स्पष्ट और सटीक तरीके से, रोजमर्रा की शब्दावली में और बिना किसी तकनीकी शब्दजाल के सूचना दी गई है।
- 8.4.18 अलग-अलग दिव्यांग व्यक्तियों और पुलिस कर्मियों के बीच बातचीत के लिए पर्याप्त समय आवंटित करें। पर्याप्त समय का मतलब दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुलिस के समक्ष अपनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समय है।
- 8.4.19 यह जात रहे कि दिव्यांग व्यक्ति को जिन्हें गाइड कुर्तों, बेंत, व्हीलचेयर या अन्य तकनीकी सहायता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, उन्हें वाहन या पुलिस स्टेशन में उनसे अलग नहीं किया जाना चाहिए।
- 8.4.20 उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के बारे में जानकारी देना और समझना। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दिव्यांग लोग विविधता की अभिव्यक्ति हैं। एक ही प्रकार की विकलांगता में भी व्यक्तियों के बीच अंतर हो सकता है।
- 8.4.21 यह विचार करने के लिए कि सार्वजनिक व्यवस्था की बहाली का तात्पर्य यह भी है कि पुलिस संस्थान राजनीतिक और / या सामाजिक प्रदर्शनों में भाग ले रहे दिव्यांगजनों की शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षा करता है, उन्हें अच्छी तरह समझाएं, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति को बताएं कि आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते हैं।
- 8.4.22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए दिव्यांग व्यक्ति को बिना देर किए न्यायाधीश के समक्ष लाना, ताकि न्यायाधीश उसकी नजरबंदी की वैधता पर निर्णय ले सके।

8.4.23 प्रक्रिया या प्रक्रिया में गवाह के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिभागियों के रूप में उनकी प्रभावी भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए दिव्यांगजनों को दूसरों के साथ समान आधार पर न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना।

8.4.24 ऐसी स्थिति में जिसमें दिव्यांग व्यक्ति पर अपराधी, सहयोगी या सहायक के रूप में अपराध में भाग लेने का आरोप लगाया जाता है। ऐसे मामले में, निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए:

- a) किसी भी प्रकार की हिरासत या गिरफ्तारी के अधीन सभी दिव्यांगजनों का गरिमा के साथ सम्मान देना,
- b) किसी भी प्रथा को समाप्त करना जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की मनमानी निरोध शामिल है,
- c) इस बात को ध्यान में रखना कि किसी व्यक्ति की विकलांगता पूर्वाग्रहों या आपराधिक जिम्मेदारी या पुलिस कर्मियों के लिए एक समान दोषिता की प्रतिनिधित्व नहीं करती है,
- d) यह सुनिश्चित करना कि हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए बधिर व्यक्ति जो सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं, संवाद करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करने में सक्षम हो। किसी बधिर व्यक्ति को पीछे की तरफ हाथ करके हथकड़ी लगाने से सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने की उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है।

8.4.25 विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो घरेलू या लिंग हिंसा के शिकार हैं, उन्हें शिकायत करने के लिए वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज, इंटरैक्टिव चैट और वेबसाइटों जैसी नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, जिन पर उचित प्रक्रिया शुरू करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा उचित ध्यान दिया जाएगा।

- 8.5 दिव्यांगजनों की शिकायत, एफआईआर, बयान दर्ज करने, उनके विरुद्ध अपराध का अलग-अलग आंकड़ों का रखरखाव और दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए दिशानिर्देश। पुलिस की मदद लेने वाले व्यक्ति की दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर, यह आवश्यक है कि दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम की धारा 7 और 12 के अनुपालन में न्याय तक उनकी पहुंच के लिए शिकायत दर्ज करने, बयान दर्ज करने या किसी अन्य संबंधित उद्देश्य के लिए विभिन्न मानकों या तरीकों विशेषकर धारा 12 (4) का पालन किया जाए:
- 8.5.1 सामान्य रूप से विकलांग व्यक्तियों का बयान लेना: यदि शिकायतकर्ता, मुखबिर, गवाह या आरोपी विकलांग व्यक्ति (बधिर या कम सुनाई देने वाला, नेत्रहीन या कम दृष्टि वाला व्यक्ति, मानसिक बीमारी या बौद्धिक या सीखने की अक्षमता वाला व्यक्ति) है, तो उचित समय और शिकायत, घटना या तथ्यों के पूर्ण विवरण के लिए व्यक्ति को स्थान प्रदान किया जाना है। ऐसे व्यक्ति के लिए अनुकूल वातावरण बनाना आवश्यक है। जो व्यक्ति शिकायत / बयान दर्ज कर रहा है, उसे उन सभी बयानों को लिखना चाहिए जो उस व्यक्ति ने सुनाए हैं और पूरा होने के बाद उसे पढ़कर सुनाएं। और उसकी पुष्टि होने पर ही उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करना चाहिए। पुलिस अधिकारी जो शिकायत/बयान लिख रहा है, उसे दिव्यांग व्यक्तियों को सहज बनाने के लिए विकलांगता संवेदीकरण और परामर्श तकनीकों पर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। बयान दिव्यांग व्यक्ति की सहमति से ही रिकॉर्ड होना चाहिए और ऑडियो वीडियो होना चाहिए। मोबाइल जैसे किसी भी छोटे उपकरण की मदद से रिकॉर्डिंग की जा सकती है। बयान/शिकायत की हार्ड कॉपी के अलावा, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की एक प्रति शिकायत करने या बयान देने वाले व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए। जहां शिकायत या विवरण कंप्यूटर में टाइप किया गया है, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी सुलभ और पठनीय

प्रारूप में या एक कंप्यूटर मुद्रित प्रति या एक ब्रेल कॉपी विकलांग व्यक्ति की पसंद पर / अनुरोध किए जाने पर प्रदान की जानी चाहिए।

8.5.2 मूक या बधिर व्यक्ति का बयान लेना: उपरोक्त प्रावधानों के अलावा, प्रभावी संचार के लिए पेशेवर सांकेतिक भाषा के दुभाषियों की मदद लेनी चाहिए और बयान को सांकेतिक भाषा में पढ़ा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे सही ढंग से समझा गया है। इस आशय के लिए दुभाषिया, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, सहायक परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाने चाहिए। जहां बधिर व्यक्ति भारतीय सांकेतिक भाषा नहीं जानता है, उस व्यक्ति के परिवार का एक सदस्य जो उसके विशिष्ट संकेतों से परिचित है, को भी संचार करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

8.5.3 मानसिक बीमारी या बौद्धिक अक्षमता या सीखने की अक्षमता और संज्ञान की अन्य अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति का बयान लेना: यदि शिकायतकर्ता / गवाह / अभियुक्त मानसिक बीमारी या बौद्धिक अक्षमता या सीखने की अक्षमता और संज्ञान की अन्य अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्ति है, तो उसके साथ उपरोक्त सुविधा के अलावा, सरल और सादी भाषा, संवर्द्धनात्मक और वैकल्पिक मोड, संचार के साधन और प्रारूप, छवियों या चित्रलेखों के साथ मौखिक और/या लिखित भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी संभावना है कि वह व्यक्ति स्वयं घटना का शिकार हो लेकिन उसे समझ न पाए। इसलिए, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, विशेषकर शिक्षकों और चिकित्सा पेशेवरों की मदद ली जानी चाहिए ताकि व्यक्ति को खुद को व्यक्त करने / विभिन्न तरीकों से स्वतंत्र रूप से संवाद करने में मदद मिल सके। इससे पुलिस कर्मियों को उनके बयान को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद मिलेगी। इस तरह के शिकायतकर्ता के लिए वातावरण को ऊपर (ए) में वर्णित अन्य बातों के साथ अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार की आवश्यकता

है। दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उनकी पसंदीदा भाषा और संचार के साधनों में दी गई गवाही, तर्क या राय की रिकॉर्डिंग की सुविधा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

- 8.5.4 यदि आरोपी या संदिग्ध दिव्यांग व्यक्ति है, तो उसे वे सभी संचार के साधन उपलब्ध होने चाहिए जिसको उसे जरूरत है। उदाहरण के लिए, यदि आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति बहरा है या सुन नहीं पाता है, तो जांच और परीक्षण के दौरान संकेत जानने वाले दुभाषियों की मदद लेनी चाहिए। आरोपी को उपलब्ध अधिकारों के बारे में सांकेतिक भाषा दुभाषियों द्वारा समझाया जाना चाहिए।
- 8.5.5 सामान्य रूप से पुलिस स्टेशन विशेष शिक्षकों/विकलांगता विशेषज्ञों के डेटाबेस रखते हैं और उनकी मदद लेने की व्यवस्था करते हैं- सभी पुलिस स्टेशनों में विशिष्ट प्रशिक्षकों, भाषाई द्विभाषियों, संकेत भाषा के द्विभाषियों, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, चिकित्सकों, ब्रेल विशेषज्ञों, कानूनी सहायता प्रदान करने वालों और दिव्यांगों के साथ और उनके साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के डेटाबेस रखा जाता है ताकि दिव्यांगों के साथ आसानी से समन्वय स्थापित किया जा सके और दिव्यांगों को पुलिस और पुलिस थाने पहुंचने में आसानी हो।
- 8.5.6 पुलिस थानों को लिंग, आयु, निवास स्थान, हिंसा और शोषण के मामलों में अपराधी और दिव्यांग के साथ संबंध जिसमें दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा और पति या साथी द्वारा की गई हिंसा शामिल है और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा सूचित मामलों का अलग अलग डेटा रखना होता है।
- 8.5.7 पुलिस थानों के साथ-साथ आपदा शमन केंद्रों की सेवाओं की आसान पहुंच के लिए वीडियो और टोल-फ्री नंबर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बहरे या कम सुनने वाले व्यक्ति के सरोकारों को समझने के लिए वीडियो कॉल की सुविधा संकेत दुभाषियों

द्वारा होनी चाहिए। मानसिक बीमारी या बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति की चिंताओं को समझने के लिए आगे मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर भी होने चाहिए।

8.5.8 सुलभ परिवहन सेवा: यदि कोई व्यक्ति अपनी दिव्यांगता के कारण पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाता है तो पुलिस कर्मियों को इसके निराकरण हेतु शिकायत/बयान दर्ज करने के लिए दिव्यांग व्यक्ति द्वारा सुगम्य स्थान का दौरा करना चाहिए। इसके अलावा सुगम परिवहन की विशेष व्यवस्था के की जानी चाहिए। पुलिस बल के अंदर भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुलिस थानों, न्यायालयों, लोक अभियोजकों के कार्यालयों, या सेवा प्रदाताओं, जिनका कार्य न्याय प्रशासन के लिए प्रासंगिक, जैसे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं जहां फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए जाते हैं, से आसानी से आने जाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, मौजूदा पुलिस वाहनों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उचित बैठने का स्थान होना चाहिए, उदाहरण के लिए व्हीलचेयर के लिए खाली जगह, सीट बेल्ट के साथ विशेष बैठने की व्यवस्था, व्हीलचेयर निरोधक प्रणाली आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

8.5.9 दिव्यांग महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले में, यदि पीड़िता पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच सकती है, तो किसी महिला पुलिस अधिकारी को पीड़िता की पहुंच आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उसकी व्यवस्था करने के लिए महिलाओं के लिए सुगम्य स्थान का दौरा करना चाहिए। घरेलू हिंसा की शिकार पीड़िताओं के लिए बनाए गए या स्वीकृत पहुंच मानकों का पालन करने वाले लाइसेंसशुदा आश्रय दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य होंगे।

8.5.10 दिव्यांग व्यक्ति साइबर अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, विशेष रूप से साइबर से धमकाने के लिए। क्योंकि उन्हें साइबर स्पेस दुर्गम लगता है और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है या उन्हें बेवकूफ

बनाया गया है। इसलिए पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और ऐसी घटनाओं के प्रति अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए।

- 8.5.11 दिव्यांग बच्चे अपराध के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए, दिव्यांग बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं की समस्याओं के निराकरण और उन्हें संभालने के लिए बाल देखभाल संस्थानों के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।
- 8.5.12 दिव्यांग व्यक्तियों को उनके परिचारक या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसके साथ वह पुलिस थानों में सहज महसूस करता है।
- 8.5.13 पुलिस अधिकारियों की संवेदीकरण प्रशिक्षण:- पुलिस अधिकारियों को दिव्यांगों की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों और विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के साथ काम करने के तरीके के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में किसी दिव्यांग उत्तरजीवी से जुड़े मामले के पूरे जीवन चक्र को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें शिकायत दर्ज करने, आवश्यक आवास, चिकित्सा ध्यान और उपयुक्त कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। इस प्रशिक्षण में उनकी एजेंसी की मान्यता में उनके देखभाल करने वाले या सहायक की तुलना में, संबंधित दिव्यांग व्यक्ति के साथ सीधे बातचीत करने के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम की धारा 47 (ए) के आलोक में प्रत्येक अधिकारी को ऊपर से नीचे तक संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है।
- 8.5.14 दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षा आवश्यकताओं और दिव्यांग व्यक्तियों को किसी भी उत्पीड़न से रोकने में आम जनता की भूमिका हेतु आम जनता/नागरिकों के लिए निरंतर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ऐसे किसी भी पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट तुरंत पुलिस को करनी चाहिए।

- 8.5.15 इसी प्रकार, पुलिस हेल्प लाइन, कानूनी सहायता की सुविधाओं आदि के बारे में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए क्या करें और क्या न करें जारी किया जाना चाहिए।
- 8.5.16 प्रत्येक पुलिस स्टेशन के क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान प्रत्येक पुलिस स्टेशन स्तर द्वारा की जानी चाहिए और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारियों पर निर्भर करती है। बीट अधिकारी ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के क्षेत्र में उनके आवास का नियमित दौरा करें।
- 8.5.17 जिले के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जिले में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।
- 8.6 कारागारों में सहायक सेवाओं के संबंध में सामान्य दिशानिर्देश
- 8.6.1 जेलों में दो व्हीलचेयर सुलभ होने चाहिए और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उचित जगह होनी चाहिए, उदाहरण के लिए व्हीलचेयर के लिए खाली जगह, सीट बेल्ट के साथ बैठने की व्यवस्था, व्हीलचेयर रोकने की व्यवस्था आदि होनी चाहिए।
- 8.6.2 कारागारों में सामान्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, चिकित्सा पेशेवरों, सांकेतिक भाषा के दुभाषियों, ब्रेल या स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर आदि की मदद लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- 8.6.3 यदि किसी व्यक्ति को अपनी सजा अवधि के दौरान या हिरासत के दौरान किसी भी कारण से कोई अस्थायी या स्थायी अक्षमता प्राप्त होती है, तो ऐसे व्यक्ति को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ की जाने वाली सुविधाएं और उचित आवास की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- 8.6.4 दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जेल अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि कैदी को कम सुनाई देता है, तो जेल स्टाफ में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सांकेतिक भाषा समझ सके। इसी तरह, शारीरिक

रूप से अक्षम कैदियों के लिए, जेल में व्हीलचेयर सुलभ होनी चाहिए, जिसमें डिटेंशन सेल से जुड़ी सुलभ स्वच्छता सुविधाएं भी शामिल हों। जेलों में मनोरंजन स्थलों, पुस्तकालयों आदि को भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। सामान्य मिलने-जुलने के क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए कि वे सुगम्य हों क्योंकि जहां कैदियों को उनके परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाती है, वहां परिवार का कोई सदस्य दिव्यांग व्यक्ति भी हो सकता है।

- 8.6.5 समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के पेश आने वाली कठिनाइयां जेलों में बढ़ जाती हैं। स्टाफ और अन्य कैदियों का दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो सकता है। इसलिए, दिव्यांगता जागरूकता और दिव्यांग कैदियों की जरूरतों और अधिकारों के संबंध में अक्सर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- 8.6.6 कारागार के पुस्तकालयों को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए वेब एक्सेसिबिलिटी सहित सुलभ प्रारूपों में सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। एक विशेष अधिकारी (विकलांगता समावेशन) नियुक्त किया जा सकता है जो उपर्युक्त सुविधाओं की देखरेख करने और दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 8.6.7 जेल के कर्मचारियों को दिव्यांग व्यक्ति की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों और विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ कैसे काम करना है, इसके प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। ऊपर से नीचे तक हर अधिकारी को संवेदनशील बनाना जरूरी है।
- 8.7 आवश्यकता मूल्यांकन, दिव्यांगता जागरूकता और विविध प्रावधानों के संबंध में सामान्य दिशानिर्देश।
- 8.7.1 दिव्यांग कैदी की उचित आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए और उसे अभिलिखित किया जाना चाहिए ताकि उसकी विशिष्ट पहुंच आवश्यकताओं की योजना

बनाई जा सके और उसे पूरा किया जा सके या उसे उचित आवास प्रदान किया जा सके। जेल में रहने के दौरान विकलांग होने वाले किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन ऐसी विकलांगता के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर भी किया जाना चाहिए - चाहे अस्थायी हो या स्थायी और ऐसी मूल्यांकन रिपोर्ट कैदी के रिकॉर्ड का हिस्सा होनी चाहिए।

8.7.2 दिव्यांगता की श्रेणी चाहे बेंचमार्क की हो या नहीं, पुलिस स्टेशन या जेल में, किसी भी स्तर पर दिव्यांग व्यक्ति को समुचित स्थान या सुगम्य सुविधाओं से वंचित करने का आधार नहीं होना चाहिए। यह पुलिस स्टेशन में व्यक्ति द्वारा किए गए अनुरोधों पर आधारित होना चाहिए, जेल में, यह आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित हो सकता है न कि दिव्यांगता की डिग्री या दिव्यांगता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर। जेल अधिकारी बाद में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए चिकित्सा और पुनर्वास पेशेवरों की सहायता ले सकते हैं यदि वे ऐसा सोचते हैं।

8.7.3 सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाने के दौरान, जैसे कि महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन, दिव्यांग व्यक्तियों, विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं के संबंध में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जो प्रतिबंधित आवाजाही के दौरान हिंसा का शिकार हो सकती हैं।

8.7.4 सभी पुलिस थानों, पुलिस कर्मियों, जेल कर्मचारियों और आपदा शमन केंद्र के कर्मचारियों, सशस्त्र बलों (आपदा के दौरान, सशस्त्र बल प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं) को नियमित आधार पर दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के संबंध में नियमित रूप से संवेदनशील बनाना बिलकुल ज़रूरी है। विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण सब नियमित आधार पर आयोजित किए जाने चाहिए।

9. सन्दर्भ

- क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारत का राष्ट्रीय भवन कोड (2016)
- ख) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिव्यांग और बुजुर्ग व्यक्तियों (2016) के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और स्थान संबंधी मानक
- ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, के दिव्यांग व्यक्तियों संबंधी अधिकारिता विभाग द्वारा मॉडल सुलभ पुलिस स्टेशन (रिपोर्ट और चेकलिस्ट) (2020)
- घ) बीपीआरएंडडी, गृह मंत्रालय द्वारा आधुनिक पुलिस थाना भवनों के लिए मानकों में संशोधन (2016)
- ङ.) एनडीएमए, गृह मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (2019) पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश
- च) आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013।
- छ) दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016
- ज) दिव्यांगजनों के अधिकार नियम 2017
- झ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी आपदा और आपातकालीन प्रबंधन- जरूरतों, चुनौतियों, प्रभावी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा (<https://cis-india.org/accessibility/blog/emergency-services-report.pdf>)